

Sch. XIV.—F.No. 180V

रसीद मालगुजारी

नाम सकल। नाम मौजामय

थाना वो थाना नम्बर।

V

बि०स०मु०, पटना।

फरद मालको/फरद रैयती।

नाम रैयतमय वल्लिदयत जमाबन्दी।

वो सकुनत। नम्बर

Y
2

0379089

पत्ता/प्ल	संख्या	विलीय	कमाल
-----------	--------	-------	------

900V
7

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिस्सा लगान भावली।

11 कटा	पिता - स्वर्ग न-एक महल (11 कटा)
--------	---------------------------------

जोत का सालाना मांगमय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल- } (नकदी)	80.00	0	0	0	80.00	80.00
गुजारी } (भावली)	80.00				80.00	80.00
सेस	80.00				80.00	80.00
*सुद	80.00				80.00	80.00
मुतफरकात	80.00				80.00	80.00
मीजान	240.00				240.00	240.00

तफसील अदायकारी।

- 800.00

अदायकारी बाबत	सालाना	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल- } (नकदी)		0	0	0	80.00	80.00	
गुजारी } (भावली)					80.00	80.00	
सेस					80.00	80.00	
*सुद					80.00	80.00	
मुतफरकात					80.00	80.00	
मीजान अदायकारी					240.00	240.00	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) - पांच सौ रुपये केर

(2) नाम देहिन्दा -

(3) कुल बकाया -

दस्तखत वो तारीख अमल तहसील कुनिन्दा

*खास महल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सुरक्षित किया जाता है।

32 8-23

30 18-17

Sch. XIV. - F.No. 10

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजामय
थाना वों थाना नम्बर।

वि० सं० पु०, पं०

फरद मालकी/फरद रैयती।
नाम रयतमय चलिदयत जमाबन्दी।
वों सकुनत। नम्बर

Y
4

0019441

अरजी नकदी

13/11/11

मालगुजारी

तफसील हिसाब लगान भावली।

जीत का सालाना मागमय तफसील (बकाया वों हाल) मौजूदा साल का।

माग बाबत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल-गुजारी	(नकदी)	80.00				80.00	80.00
सेस	(भावली)	80.00				80.00	80.00
*सुद		80.00				80.00	80.00
मुतफरकात		80.00				80.00	80.00
मीजान		800.00				800.00	800.00
						800.00	800.00

तफसील अदायकारी।

तफसील अदायकारी।

= 800.00

अदायकारी बाबत		बकाया				= 800.00	
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मीतालबा हाल	फाजिल
माल-गुजारी	(नकदी)				80.00	80.00	
सेस	(भावली)				80.00	80.00	
*सुद					80.00	80.00	
मुतफरकात					80.00	80.00	
मीजान अदायकारी					80.00	80.00	
					800.00	800.00	= 800.00

(1) मीजान कुल (लफ्जी में) - पाँच सौ - आठ सौ - 00 पैसे

(2) कागज के

(1) मीजान कुल (लफ्जी में)

(2) नाम देहिन्दा

(3) कुल बकाया

चार ली तफसील माद

दस्तावेज वों वरीख अमानत तफसील कुनिन्दा

*घास मशाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सांठपकट नही किया जाता है।)

SPL-16-17

थाना वो थाना चम्बर ।

वि०स०म०, पटना।

60. फिस्द मालकी/फरद रेयती।

नाम रैयतमय वल्लिद्यत जसाबन्दी ।

वा सकन्तः । नम्बर

$$\frac{Y}{4}$$

0019444

अराजी नक्की

अरुणाचल

तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना योगमय तफसील (बकाया वी हाल) मौजूदा साल का।

2096-72 माघ बाजन		साखाना	चक्राया				हाल
			तीन वर्ष से न्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल=	} (चक्राया) (भावली)	20				20	20
गुजारी		20				20	20
सस		20				20	20
*मुद		20				20	20
मुतफरकात		20				20	20
मीजान		700.00				700.00	700.00

तत्कालीन अदायकारों

अदायकारी बाबत		सकाया			मोबाबलबा हाल	फाजिल
		तीन वर्षों से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल- } (चकदी)					20	20
गुजारी } (भावली)					20	20
सेस					20	20
*सुद					20	20
मुतफेरकात					20	20
मीजान अदायकारी					700.00	700.00

- (1) मीनाम कुल (लफ्फां मे) -- वा ला लफ्फां मार
(2) नाम देहिन्द्रा --
(3) कुल बकाया --

दस्तावेज को तारीख १५/०५/२०१८ को जारी किया गया।

* खास महान का बकाया माताप्राप्ति पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) यह निर्धारित है।

SPL-16-17

... XIV. - F.No. 1804

रसीद मालगुजारी

नाम सकेल। नाम मौजामय

थाना वो थाना नम्बर।

वि०स०मु०, पटना।

फरद मालको/फरद रैयती।

नाम रैयतमय बालदयत जमाबन्दी।

वो सकेल। नम्बर

Y
4

0019443

2329

अरजी नकदी

अरजी बाबत

तफसील हिमाव लगान भावली।

13/12/1113

जोत का सालाना मौजामय तफसील (बकाया वो हाल) मोचुकी साल को

माल-गुजारी	सालाया	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
(नकदी)	80				80	80
(भावली)	80				80	80
सेस	80				80	80
*सुद	80				80	80
मुतफरकात	80				80	80
मीजान	800.00				800.00	800.00

माल-गुजारी	अदायकारी बाबत	बकाया				मौतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
(नकदी)					80	80	
(भावली)					80	80	
सेस					80	80	
*सुद					80	80	
मुतफरकात					80	80	
मीजान अदायकारी					800.00	800.00	800.00

- (1) मीजान कुल (लफनो में)
- (2) नाम देहिन्दा ---
- (3) कुल बकाया ---

दस्ताखत वो मोचुकी जमाबन्दी

* खास महल को बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकाया पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो चुका हो लिया जाता है।

SPL-16-17

अनुसूची १४-फारम सं० ३६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक ता० से तक
जिला से सन् १९.....
केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० सन् १९.....

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
२२-५-९०	आज दिनांक २२-५-९० को राजा कायें के निस्तर के प्रसंग में ग्राम सुल्तानपुर बाना-दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री <u>बिनायक कुमार</u> व श्री <u>स्व० जन्म</u> <u>मन्त्री</u> ग्राम <u>सुल्तानपुर</u> बाना <u>दानापुर</u> (पटना) ने निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिसे बसीका सं० २५९ दि० ५-५-९० प्रति से इन्होंने श्री <u>राज लाल</u> आवेदक व श्री <u>बालू जी</u> विक्रेता ग्राम <u>सुल्तानपुर</u> बाना-दानापुर (पटना) से कर दिया है।													
जमीन विवरण <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>बाना एवं बाना नं०</th> <th>तोजी नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा नं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>सुल्तानपुर</u></td> <td><u>दानापुर</u></td> <td></td> <td>३२</td> <td>५६३</td> <td>५११.२३ (२५००)</td> </tr> </tbody> </table>		मौजा	बाना एवं बाना नं०	तोजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	<u>सुल्तानपुर</u>	<u>दानापुर</u>		३२	५६३	५११.२३ (२५००)	विक्रेता के नाम एवं बसीका सं०
मौजा	बाना एवं बाना नं०	तोजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा									
<u>सुल्तानपुर</u>	<u>दानापुर</u>		३२	५६३	५११.२३ (२५००)									
कैम्प में उपस्थित जेलीय राजस्व कर्मचारी/वि० से० और अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बन्ध में स्थानीय तौर पर और राजस्व कागजों से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :— (१) रीयती है। (२) आवेदक के पूर्ण दखल में है। (३) जमादन्दी <u>बिनायक</u> के नाम से कायम है।														

अनु० १६ ६८९
११/१२/९०

Certified to be true Copy
22/5/90
11/12/90

पुनरा कर्ता

GOVT. OFFICE
Registration Officer & District
PATNA SO. DIST. PA. INA
CO. J. FEE
Authorizator, No 29 17
INDIA
37/1304
STAFF & DUTY
00 0000
00010010
0.9.2015
JUDICIAL
8/12

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	इनकी अनुशांसा नामांजन हेतु है। कैंप में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांजन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशांसा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में नामांजन की दी जाती है। चुद्धि-पत्र तीन प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे। लेखापति अंचल अधिकारी, दानापुर अंचल अधिकारी दानापुर	



दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

मु० केस नं० २२२ साल १०-११ हफ्ता नं० ६ जंवल मुलकासी-पटना
 ग्राम सगुना राजस्व २११५८ खाना नं० २३ जिला-पटना
 मु० में जमीन का रकबा ५११ प्राप्त का जरिया २५१५८
 करशमन केवाला ७५९ तिथि ५-२-१०

रामलखन साय	३२	१६३	५११	३-५०	जं. २. १. ५२३३
पिता-दालगी सिन्ध साय					२५
सा. सगुना					
पिता-सगुना					
पिता-५२०					
वचा हुआ रकबा :-	५४	१४	५४		
सुटे दिलीप कुमार	३२	१६३	५११	३-५०	
पिता-सा. सगुना					
सा-सगुना					
पिता-५२०					
पिता-५२०					

हैं और
 जहाँ वहाँ जहाँ
 है नहीं है। तब ही
 के पूरा दोनो पक्षों
 के ही पक्षों में
 विवेक का काम नहीं है
 के ही दोनो पक्षों
 जहाँ जहाँ जहाँ है

मिलान किया कि
 इसका जो कुछ
 का रकबा है

२५५ किशोर सिंह
 ११/११/२०१५
 तुलना कर्ता

लिफ्ट 5202

बजटपता 5202

काल 5202

कुल 15202 (पत्र 8 044 6 फलामा)

राज किशोर सिंह

प्रधान सहायक

9/9/2025



1944-1945

विषय: 19/15-16

संज्ञा श्री गंगा नदी का दूध है

[illegible]

21/9/15
नन्दक महाराज साहिब. राजतानपुर बाना-
दोगापुर जिला पटना द्वारा खसिया संव- 759
दिनांक 5/2/90 के आचार पर सेरा संव-
463 के खान पर खसिया संव- 483
संकेत करके हुए राजतान बसीद निगल कर
है। आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन
राजतान बसीद के अंग्रेज निरीक्षक के नाम
से जांच प्रतिपत्ति दे दी। आवेदन दिनांक
1/10/15 को रखे।
उत्साहित संलग्न

अ. १५१६-१०५२
८५११२

अथर्ववेद
अथर्वसंहिता

1/10/15
नि. 1/10/15
अभिषेक विद्यापीठ, राजेश्वर कर्मचार्य, का
जोय उद्दिष्टन कर्मचार्य विद्यार्थी के मा. व. न. से
पाठ 1 आम प्रमाण पर सुचना निर्देश के
अभिषेक विद्यापीठ 1/10/15 के 2017
लेखापत्र एवं वित्तिय

Ammonium Chloride

सं. ११११११

[illegible]

रात्रि विचार १२
६/११/२०१६

GOVT. OF BIHAR
Registration No. 5 of 2013
PRINASTONE, P.O. NAGAR
GUNTUR DIST.
Authorisation No. 2013

SECRET
SPECIAL DELIVERY
JUN 06 1978
BILHAR
INDIA

8241 · 514079



आदेश की प्रत-सत्यम
और साक्षी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर को गई कार्रवाई के बारे में
लिपिबद्ध, जारी रख-रहित

के माध्यम से प्राप्त उनके द्वारा मौजा
सुगुना खाना नं० 23 में वसिष्ठ सं०
759 दिनांक 5/2/1990 के आधार पर
खेसरा सं० 463 के स्थान पर खेसरा
सं० 483 संगोपन करने की अनुमति
दी गई है।

अतः राजस्व कमिश्नरी/अंशनिरीक्षक
के अनुमति तथा संयोजन कागजात के आधार
पर मौजा : सुगुना खाना नं० 23, खसरा नं०
32 खेसरा नं० 483 रुकवा 10 कठु जमीन
का राजस्व रसीद निगित करने की छवि
दी जाती है।

लेखावित्त एवं संगोपन

अंशनिरीक्षक
दानापुरा

अंशनिरीक्षक
दानापुरा

2 मई 2015 दिनांक 23/1/15
जलसिद्धि - श्री राजकुमार
कागजात सं० अनुमति
द्वारा

अंशनिरीक्षक
दानापुरा

अंशनिरीक्षक
दानापुरा

रज किशोर
6/4/2015



पेज ५

सतीमान दायलाखि कापी
दानापुर, पटना

विषय - शुद्धि पत्र वारिफ के लॉट संख्या 483 का गाय
प्रतिवेदन

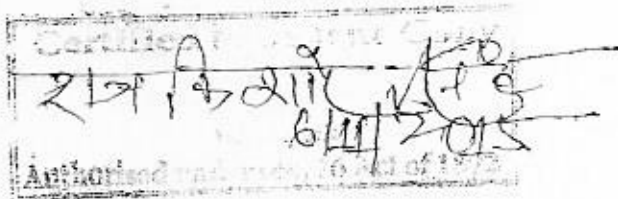
महोदय - आपके कार्यालय के माँगा समुदाय का नाम संख्या 23
वारिफ संख्या 3927 दिनांक 27-07-1976 के दाय
वारिफ के लेख संख्या 463 बिना गया का गाय
गलन है बाद में आवेदन ने शुद्धि के करवाई
है जिसका वारिफ संख्या 759 दिनांक 05-02-1999
है जिसमें लॉट संख्या 463 के लॉट 483
बिना गया जो लड़ी है लेख संख्या 483
आवेदन के दाय कदम में है लॉट गलन है
लॉट संख्या 32 लेख संख्या 483 रकम 10 हजार
(दस हजार) आवेदन का वारिफ शुद्धि पत्र पालन है
जिसके लॉट लॉटन है लॉट 759 के दिन के
लेख 483 के संशोधन की जा सकती है।

आपका सतीमान का सुपुत्र
विषय हेतु गाय प्रतिवेदन सतिफर की जाती है।

विशाल कुमार

सतीमान
सतिफर

Auto-1207
6/11/2015



क्र. 5-02
मार्गदर्शिका क्र. 5-02
फॉलोअप 5-02
15-02 (जन्मदिवस के लिए सलामी)
राज किशोर सिंह
प्रधान सहायक
बनापुर 16/11/15



(देखें आभिलेख इस्तक 1941 का नियम 129)

ता०.....तक

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० ११७ सन् २००३-०४

8774 3225846



आदेश की क्रम
संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी को हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

(4) यह जमीन गैर मजलूआ आम एवं खास नहीं है। यह जमीन
भूहदबन्दी के अन्तर्गत है। मूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिश
निर्गमित करें। अभिलेख दिनांक 6/10/02 को स्थापित करें।

अंचल अधिकारी

6/10/02

मूल जमाबन्दी रैयत को निर्गमित नोटिश/आम ईरतहार का तामिला
प्राप्त है। तामिला प्रतिवेदन देखा। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ
है। आवेदित भूमि क्रेता के दखल-काब्जा में है। अतः सूचना/रा०
कार्ग० एवं अंचल निरीक्षक को जांच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/अंतराधिकारी/दान-पत्र/विक्रय-पत्र
दाखिल खारीज करने की दी जाती है। शुद्धि
-पत्र निर्गमित करें।

अंचल अधिकारी

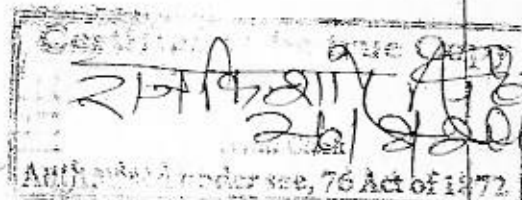
शुद्धि-पत्र की दो प्रति हल्का कर्मचारी को हस्तगत करवा दें।
हल्का कर्मचारी दिनांक 10/10/02 तक राजस्व अभिलेख
में सुधार कर हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र की एक प्रति कार्यालय को
वापस कर दें एवं एक में अपनी रक्षी सचिका में संभारित करें।
सम्बन्धित सहायक कर्मचारी द्वारा वापस हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र
को रक्षी सचिका में संभारित करें एवं रजिस्टर-27 में अपेक्षित
इन्द्राज संभारित करें।

लेखापित एवं संशुद्धित

अंचल अधिकारी

अंचलाधिकारी,

दावापुरा



तुलना कर



दक्षिण खारिज-अतिवेदन

मु. केश नम्बर—	११७	साल—	२०३२	२०३१	हल्का नम्बर ७	अ. नं.—
ग्राम—	सिद्धा				राजपुर थाना नम्बर—२३	जिला—
मु. से जमीन रकबा—					प्राप्त का जरिया—	सिद्धा
जरबमन	५,१०,०००	मेनाल—	०४.१७		तिथि २३.८.०३.	

[illegible]

Wt 569 ग्राम हुआ रकबा

26/11/80

[illegible]

ਮਰਾ ਭਾਗ ਮਲੇ
ਪਰ ਖੁਯਾ ਦੇ ਉਪਰ-
ਮਾਪਰਿ ਨ ਲੋ ਲੋ ਕਰ
ਕਰਾ ਹੀ ਮੁਖੀਓ ਦਿਆ
ਕਾ ਮਰਗੀ ਹੈ।

अम, मन्त्रिणी
रामेश्वर
प्रतिपक्षी योच्यते अम
नामा अमत्राणि -
जानते न ह्येवमि
हेतु अमत्राणि न
जानते
५
७

राज किशोर मिश्र
26/8/2018

1000

25-7142





आदेश की क्रम
संख्या और तारीख

आदेश और प्रदाधिकारी

पर की गई
आपत्ति के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

(4) यह जमीन गैर मजबूत आम एवं खास नहीं है। यह जमीन
भूदबन्दी के अन्तर्गत नहीं है। मूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिश
निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 2/12 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी

2/12/03

मूल जमाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिश/आम इशतहार का तामिला
प्राप्त है। तामिला प्रतिवेदन देखा। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ
है। आवेदित भूमि क्रेता के दखल-कब्जा में है। अतः सूचना/रा०
कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व संग्रहण के हित में बटवारा/अचराधिकारी/दान-पत्र/बिक्रय-पत्र
दाखिल खारीज करने की दी जाती है। शुद्धि
-पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी

शुद्धि-पत्र की दो प्रति हल्का कर्मचारी को हस्तगत करवा दें।
हल्का कर्मचारी दिनांक 8/12/03 तक राजस्व अभिलेख
में सुधार कर हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र की एक प्रति कार्यालय को
वापस कर दें एवं एक प्रति अपनी रक्षी सोंचिका में संधारित करें।
सम्बन्धित सहायक कर्मचारी द्वारा वापस हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र
को रक्षी सोंचिका में संधारित करें एवं रजिस्टर-27 में अपेक्षित
इन्द्राज संधारित करें।

1229
18/12/03

लेखापित एवं संशोधित

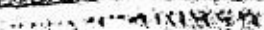
अंचल अधिकारी

अंचलाधिकारी

दानापुर।

Certified to be true Copy
Circle Officer
18/12/03

18/12



Completed
18/12

चिरकुट

बा.पा.पता

502

6-10

6-10

19-02/2013

संयोजक

पता

18/12/13



शुद्धि-पत्र

ਸਾ. ੨੨੨, ੨੨੩

सुखनिर्णयः ७

इतिहास साक्षीय भाद, संख्या :- ५५५

[illegible][illegible]

अवल कायलिय बलभगुर (पुल)

सुवि-पल

2005

हस्ता नं०

सर्विस खातीज बाद, संख्या :- १५५५	सं. २०३. २०५	हस्ता नं० ७-
गोख एवं मूल खातीजबाब का नाम	मूल खातीजबाब के नामसे जमीन	जमीन खातीजबाब का नाम
यहां पर	का विवरण	विवरण
खाना खेसरा रकबा खाना	खाना खेसरा रकबा खाना	खाना खेसरा रकबा खाना

[illegible]

(देखें अभिलेख इस्तक 1941 का नियम 129)

ता०..... तक

ସନ 2003-2008

केस का प्रकार दा. खा. बाद सं. १५ सन् २००३-०४

Certified
 राज प्रिया
 26/5/2018
 Authorised
 76 Act of 1877
 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग
 करें। अभिलेख दिनांक 9/9/03 से उपस्थापित करें।
 अंचल अधिकारी
 एल्का एवं अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के संबंध में
 स्थानीय तौर पर और राज्यस्थ अभिलेखों से जाँच कराई गई।
 उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित जमीन -
 (1) सही है।
 (2) आवेदक के पूर्ण दखल में है।
 (3) जमाबन्दी की जाँच के नाम से कायम है।

199903

6772 2723894

〇〇〇〇

GOV. I. OF BIHAR
Registration No. 8 Probation D

DATE - 11/11/19

[illegible]



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिव्यणी तारीख सहित
6/11/03 6/11/03 575 26/8/2015	(4) यह जमीन गैर मजहूर आमत एवं खास नहीं है। यह जमीन भूहदबन्दी के अन्तर्गत नहीं है। मूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ... 6/11/03 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी मूल जमाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिश/आम इस्तहार का तामिला प्राप्त है। तामिला प्रतिवेदन देखा। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि क्रेता के दखल-कब्जा में है। अतः सूचना/रा० कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/अंतराधिकारी/दान-पत्र/विक्रय-पत्र दखिल खारीज करने की ... दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। अंचल अधिकारी शुद्धि-पत्र की दो प्रति हल्का कर्मचारी को हस्तगत करवा दें। हल्का कर्मचारी दिनांक ... 10/11/03 तक राजस्व अभिलेख में सुधार कर हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र की एक प्रति कार्यालय को वापस कर दें एवं एक प्रति अपनी रक्षी सचिका में संधारित करें। सम्बन्धित सहायक कर्मचारी द्वारा वापस हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र को रक्षी सचिका में संधारित करें एवं रजिस्टर-27 में अपेक्षित इन्द्राज संधारित करें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी अंचलाधिकारी दानापुरा	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिव्यणी तारीख सहित

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

मु० केस नम्बर - १/६

साल - २००२-२००३

हल्का नम्बर ७

अंकल - १२/१३

ग्राम - लखुवा

राजस्व यागा नम्बर २२

जिला - पन्ना

मु० मे जमीन रकबा -

प्राप्त का जरिमा

जरियामन १०-४२-०००

केवाल - ५२९३

तिथि २४-८-०२

जमावंदी रयत का नाम	आता	जोड	रकबा	मगत	जमावंदी नम्बर
मुसहरमान ठिक लखुवा आता पति - श्री लखुवा ठिक लखुवा लेख लखुवा ठिक लखुवा	२३	५४३	१२ १/४	३.१५	४७३ २२७०
श्री लखुवा आता ठिक लखुवा लेख ठिक लखुवा ठिक लखुवा पति लखुवा ठिक लखुवा लखुवा ठिक लखुवा ठिक लखुवा आता ठिक लखुवा ठिक लखुवा पति लखुवा ठिक लखुवा ठिक लखुवा	१२	५४३	१२ १/४	३.००	४७३ २२७०

वश हुआ रकबा
Ch 575
26/8/2015
18/10/2015

नया जमावंदी रयत	आता	जोड	रकबा	मगत	जमावंदी नम्बर
श्री लखुवा आता ठिक लखुवा पति लखुवा ठिक लखुवा लेख लखुवा ठिक लखुवा लखुवा ठिक लखुवा ठिक लखुवा आता ठिक लखुवा ठिक लखुवा पति लखुवा ठिक लखुवा ठिक लखुवा	२३	५४३	१२ १/४	३.१५	४७३ २२७०

Certificate of Title
26/8/2015
18/10/2015
Act 75 of 1972

तुलना कर्ता

विवरण 5202

बाजारपेठा 5200

फोननम्बरो 5200

कुल 15202

(पत्रक ६७५३ संप्रदाय का २)

श्रीमद्दिवाकर प्रसाद
प्रधान लेखाधिकारी
बाजारपेठा
५२००





आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/12/03	(4) यह जमीन गैर मजरूआ आम एवं खास नहीं है। यह जमीन भूहदबन्दी के अन्तर्गत नहीं है। मूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 24/12/03 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी मूल जमाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिश/आम इशतहार का तामिला प्राप्त है। तामिला प्रतिवेदन देखा। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि क्रेता के दखल-कब्जा में है। अतः सूचना/रा० कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/अंतराधिकारी/दान-पत्र/विक्रय-पत्र दाखिल खारीज करने की पूरी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। अंचल अधिकारी शुद्धि-पत्र की दो प्रति हल्का कर्मचारी को हस्तगत करवा दें। हल्का कर्मचारी दिनांक 27/12/03 तक राजस्व अभिलेख में सुधार कर हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र की एक प्रति कार्यालय को वापस कर दें एवं एक प्रति अपनी रक्षी सचिका में संधारित करें। सम्बन्धित सहायक कर्मचारी द्वारा वापस हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र को रक्षी सचिका में संधारित करें एवं रजिस्टर-27 में अपेक्षित इन्द्राज संधारित करें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी अंचलाधिकारी दानापुरा 26/12/03	



दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर— 1540 साल— 2022, 2024 हल्का नम्बर— 32
 ग्राम— सेठुवा राजस्व थाना नम्बर— 32 जिला—
 मु० से जमीन रकबा— जरायम 7 35, 000 केवाल— 6408 तिथि 2. 12. 02.

जमाबंदी रयत का नाम	खाता	प्लोट	रकबा	जमान	जमाबंदी नम्बर 965 871
सैयद बख्त बेगम पति श्री श्री अहमद अली अलीखान	25	486	0.55	1.0	अध्यक्षता के द्वारा संदिग्ध।
हसन अलीखान पिता श्री श्री अलीखान और अलीखान जिला अलीखान	22	487	1.75	2.25	पदाधिकारी समीप के असल में दिखाने के बाद से पंजी में अंश है। असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद
बचा हुआ रकबा	4	4	4	4	असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद
नया जमाबंदी रयत	खाता	प्लोट	रकबा	जमान	
श्री श्रीमती सुमित्रा देवी पिता श्री अलीखान अलीखान असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद	25	486	2.25	4.25	असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद
श्री श्रीमती सुमित्रा देवी पिता श्री अलीखान अलीखान असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद	22	487	1.75	2.25	असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद असल में दिखाने के बाद

25/12/2022

25/12/2022

25/12/2022

25/12/2022

चि. क्र. 5002

बाजमना 5000

फॉलोव 5000

कुल 1500

(पुस्तक वाचक हार्डिकरनाम)

श्री न किशोर सिंह
26/8/2015

प्रधान सहायक

विकास

26/8/15



Serial No. 3313

Deed No. 2964

Govt. of Bihar

District Registry Office, Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 06/04/2015 by Shailendra Kumar Sinha. A stamp duty of Rs. 4758500/- and other fees of Rs. 66675/- has been paid in it. The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 2964 in Book No. 1, Volume No. 71 on pages from 263 to 288 and has been preserved in total 26 pages in C.D. No. 11 / Year 2015

Date: 06/04/2015

Token No: 3370 / 2015

Signature with Date
(Prashant Kumar)
Registering Officer, Patna

SCANNED

DEVELOPMENT AGREEMENT

THIS AGREEMENT made on this the 06th... Day of April, 2015 at Patna.

BETWEEN

1. SRI SHAILENDRA KUMAR SINHA, son of Sri Birendra Kumar Sinha, resident of Raja Bazar, P.S. - Shastrinagar, District - Patna, presently residing at 107 Patliputra Colony PATNA, Bihar, Indian Citizen, PAN - ACGPS6146R



JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

Anit Kumar
06/04/2015

Mess Rajan
06/04/2015

Rohit Ranjan
06/04/2015

Shailendra Kumar Sinha
06/04/2015

06/04/15

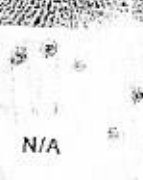
District Registry Office, Patna

en Number 3370

Reg. Year 2015

Serial Number 3313

Deed Number 2964

sType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
mant	Pran Nath Singh (Dir.)						
cutant	Amit Kumar						
cutant	Meera Ranjan Lal						
cutant	Rahul Ranjan						
sented	Shailendra Kumar Sinha						
cutant	Shailendra Kumar Sinha						
cutant	Sudhir Ranjan						
ntified	Manoj Kumar						

ORE Ver.3.0

Powered by Infosystem and Patna

Biometric Captured By 2800sop011



2. SMT. MEERA RANJAN LAL, wife of Sri Rajni Ranjan Kumar, resident of F/147, Srikrishnapuri, P.S. Srikrishnapuri, P.O. - Patliputra, District - Patna, Bihar, Indian Citizen, PAN- AAFP L3185N
3. SRI AMIT KUMAR, son of Sri Ashok Kumar Verma, resident of Budha Marg, P.O. - G.P.O., District - Patna, presently residing at 404 D Block Kaushalya Estate Off Dak Bunglow Road PATNA Bihar, Indian Citizen, PAN - ABXPK3578K
4. SRI SUDHIR RANJAN, son of Late Sri Ram Lakhan Prasad, resident of New Area Jakkanpur, P.S. - Jakkanpur, P.O. - G.P.O., District - Patna, Bihar, Indian Citizen, PAN AEUPR3763B
5. SRI RAHUL RANJAN, son of Late Sri Ram Lakhan Prasad, resident of New Area Jakkanpur, P.S. - Jakkanpur, P.O. - G.P.O., District - Patna, Bihar, Indian Citizen, PAN - AEUPR3752C

Hereinafter called the "FIRST PARTIES/OWNERS", (which expression shall mean and include excluded by or repugnant to the context their legal heirs, successors, executors, administrators, legal representatives and/or assigns), of the FIRST PART.

AND

JAGAT HOMES & RESORTS PRIVATE LIMITED a Company incorporated under the Indian Companies Act, 1956, bearing REGISTRATION NO. U45200BR2005PTC011448 having its its registered office at 3, 1st floor, Jugal Smriti Complex, Khajpura, Bailey Road, Patna - 8000014, through its Director PRAN NATH SINGH, son of Jagat Narayan Sinha, resident of Village - Murlichak, Khajpura, P.O.- B.V.College, Patna - 800



Shantendrakumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

Meera Ranjan Lal
06/04/2015

Amit Kumar
06/04/2015

Smt Meera Ranjan Lal
06/04/2015

014, Bihar, Indian Citizen hereinafter called the "SECOND PARTY/DEVELOPER" (which expression shall mean and include ~~excluded~~ by or repugnant to the context their Legal heirs, successors, executors, administrators, legal representatives and/or assigns) of the OTHER PART. PAN - AABCJ 6843 J

WHEREAS the Owners owned and possessed jointly of the land described in Schedule - I of this Development Agreement and they are joint title holders and in possession or otherwise absolute Owners of the property, which is situated in Mauza - Saguna so called as Danapur-Khagaul Road, P.S. - Danapur, Survey Thana - Danapur, Pargana - Phulwari, District - Patna, which is within Jurisdiction of Patna Municipal Corporation/Danapur Nizamat Nagar Palika, as fully described in Schedule - I below property of this Development Agreement and as said Land Owners purchased by Virtue of four separate Registered Deeds of Absolute Sale viz;

(1) The said Land owners Mr. Shailendra Kumar Sinha, Sri Rahul Ranjan, Smt. Meera Ranjan Lal and Sri Amit Kumar jointly purchased measuring 10 Kathas 10 Dhurs of land, situated at Mauza - Saguna, Survey Thana Danapur, District - Patna, bearing Thana No. 23, Khata No. 23, Part of C.S. Plot No. 487 by virtue of Deed of Absolute Sale Dated 21.08.2002 from (a) Shadiya Khatoon alias Shadiya Mustafa, wife of Jamal Ahmad and daughter of A. Mustafa and (b) Jamal Ahmad, son of S.S. Aftab Ahmad, both resident of Saguna, P.S. & P.O. - Danapur, District - Patna, presently residing at Patliputra Colony, P.S. & P.O. - Patliputra Colony, District - Patna, Bihar, which is entered as Book no.1, Vol. No. 146, Pages no. 17 to 28, and Deed No. 5196 of the year 2002 at Sub Registry Office, Danapur (Patna), (2) The said Land owners Mr. Shailendra Kumar Sinha, Sri Sudhir Ranjan, Smt. Meera Ranjan Lal and Sri Amit Kumar jointly purchased measuring 33 1/4 Decimals of land, situated at Mauza - Saguna,



Shailendra Kumar Sinha
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Director
06/04/15

Rahul Ranjan
06.04.2015
Sri Amit Kumar

Amit Kumar
06/04/2015

Meera Ranjan Lal
06/04/2015

Survey Thana Danapur, District – Patna, bearing Thana No. 23, Khata No. 23, Part of C.S. Plot No. 487 by virtue of Deed of Absolute Dated 28.08.2002 from (a) Musrat Rahman alias Musrat Ara, wife of Ekwat Rahman alias Sayed Ekbarul Rahman and (b) Sri Ekwat Rahman alias Sayed Ekbarul Rahman, son of Motiur Rahman, both residents of Dumari Kothi, Ashok Rajpath, P.S. Pirbahore, P.O. – Bankipore, District – Patna, which is entered as Book no.1, Vol. No. 148, Pages no. 549 to 564, and Deed No. 5299 at Sub Registry Office, Danapur (Patna), (3) The said Land owners Mr. Shailendra Kumar Sinha, Sri Sudhir Ranjan, Smt. Meera Ranjan Lal and Sri Amit Kumar jointly purchased measuring 17¼ Decimals of land, situated at Mauza – Saguna, Survey Thana Danapur, District – Patna, bearing Thana No. 23, Khata No. 23, Part of C.S. Plot No. 487 by virtue of Deed of Absolute Dated 23.08.2003 from Smt. Bibi Nikahat Mahabub, wife of Sri Mahub Imadeo, resident of Mangal Talab, Patna City, P.S. – Chowk, District – Patna, Bihar, which is entered as Book no.1, Vol. No. 146, Pages no. 283 to 306, and Deed No. 4819 at Sub Registry Office, Danapur (Patna) and (4) The said Land owners Mr. Shailendra Kumar Sinha, Sri Rahul Ranjan, Smt. Meera Ranjan Lal and Sri Amit Kumar jointly purchased measuring 22¼ Decimals of land, situated at Mauza – Saguna, Survey Thana Danapur, District – Patna, bearing Thana No. 23, Khata No. 23 & 25, Part of C.S. Plot No. 487 measuring 17½ Decimals & 486 measuring 5 Decimals by virtue of Deed of Absolute Dated 03.12.2003 from (a) Sayed Mohammad Mohsin, son of Sayed Abdul Mannan, resident of 207, New Patliputra Colony, P.S. Patliputra, P.S. – Patna for and on behalf of constituted attorney Sri (Dr.) Irshad Akhtar alias Hasib Akhtar, son of Dr. Ali Mustafa, resident of 207, New Patliputra Colony, P.S. Patliputra, District – Patna, Bihar through registered Power of Attorney dated

Rahul Ranjan 06/04/2015
Smt. Imrat 06/04/2015

Amit Kumar 06/04/2015

Meera Ranjan Lal 06/04/2015



Shailendra Kumar Sinha 06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Director 06/04/2015

21.06.1989 which is entered in Book No. IV, Power of Attorney Deed No. 17 of the year 1989 and (b) Sayed Reyan Ayesha alias Reyan Ayesha, daughter of Sayed Mohammad Mohasin, wife of Irshad Akhtar alias Hasib Akhtar, resident of Saguna, P.S. & P.O. - Danapur, presently residing at 207, New Patliputra Colony, P.S. & P.O. Patliputra, District - Patna, Bihar, Indian Citizen, which is entered as Book no.1, Vol. No. 241, Pages no. 319 to 334, and Deed No. 6409 at Sub Registry Office, Danapur (Patna) and since then the said Land Owners are jointly coming under peaceful physical possession over the same absolutely after mutating their names separately according to the purchased area by virtue of the said four registered Sale Deeds and thus they are paying the annual land rent to the Govt. of Bihar through the Circle Office, Danapur (Patna) under Zamabandi nos.2324, 2325, 2326, 2327 and 2328 and thus the Land Owners got their right, title and interest over the same as absolute owners jointly.

AND WHEREAS the Owners desire to develop their Schedule - I below landed property into a Multistoried Building and thus they announced publically of the same and later-on the Developer knew about willingness of the said Owners and the Developer approached to the said Owners and showed its/their interest to develop the Schedule - I below landed property of the Owners. The developer **JAGAT HOMES & RESORTS PRIVATE LIMITED** on being satisfied that the Owners are having peaceful physical possession over land as described in Schedule - I below of this Development Agreement and has approached the Owners with an intention to develop the said property for the Owners and in pursuant to the negotiations by and between the parties hereto and subject to the necessary plan approved by Competent Authority for construction of latest technological commercial Multistoried Building/Complex like as



Shanker Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Ajay Kumar
DIRECTOR 06/4/15

Rahul Ranjan
06.04.2015
Asst. M. J. Ranjan
06/04/2015

Meera Ranjan
06/04/2015
Asst. Kumar
06/04/2015

Mall, Shops, Common Commercial Spaces and Offices and as also assured by the developer for which approval/sanction is agreed to be persuaded by the Developer at their own costs and expenses and also subject to the plan of the proposed development being sanctioned by the Patna Municipal Corporation/Danapur Nizamat Nagar Palika, which responsibility is agreed to be shouldered by the Developer herein as a result of which hereof the Owners are desirous of appointing the Developer as developer of the Schedule - I below property for the consideration and upon the terms and conditions set forth hereinafter.

1. The Schedule - I below property is under the exclusive possession of the said Land Owners with marketable right, title and interest, free from all encumbrances to transfer and convey the whole or part of their the Schedule - I below property and they have not created any encumbrances on the Schedule - I below property or any part thereof by way of sale, mortgage, exchange, lease, trust, easement right, gifts, liens, leave and license, permission, rent possession, charges, inheritance or any whatsoever and any notice/notification for acquisition/requisition from any authority concerned up till now and there are no attachment either before or after judgment and there is no claims, demands, suits, decrees, injunctions, orders, notice, petitions or adjudication order affecting the Schedule - I below property and neither the Owners nor their Pattidars (Co-shares) and heirs and successors-in-interest have entered in the past in any other agreement or agreements and agreement for sale or development agreement of the Schedule - I below property or any part thereof nor have made any arrangement with any one whatsoever regarding the Schedule - I below property or any part thereof.

The Developer agreed to build said Multistoried Commercial Building Complex upon the said land measuring 34.5



Shankar Lokumandub
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Ajit Kumar
06/04/15
DIRECTOR

Rahul Ranjan
06/04/2015
Sanctioned

Ajit Kumar
06/04/2015

Meeva Ranjan
06/04/2015

Kathas i.e. 107.8125 decimals in Part of Survey Plot No. 487 and 486, Khata No. 25 and 23 and 1 of the land on the conversion basis as the ratio of 50% (Fifty percent) super built-up area to the share said Land Owners and 50% (Fifty percent) Super built-up area to the share of the said Company/Builder/Developer.

AND WHEREAS, as a result of the negotiation between the parties hereto and on the representations and declarations made by them, as herein recorded an agreement for development of the Schedule - I below property by the developer has been arrived at between the parties upon terms and conditions hereinafter appearing.

NOW THESE PRESENT WITNESSETH AND IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERE-TO AS FOLLOWS:

1. The Owners hereby appoint the aforesaid Developer as the Developer of the Schedule - I below property and irrevocable grants to the Developer, who hereby accepts from the Owners the exclusive right, possession and license to develop the Schedule - I below property alone on the terms, conditions and stipulations hereinafter mentioned in this Deed.
2. On assurance from the developer, the said Land Owners agreed to enter into this agreement with the developer for construction of a Commercial Multistoried Building according to the plans prepared by the Architect Engineers for the various benefits to the owners and developer which may be got sanctioned from competent Authority by the Developer/Company after executing & registered this Development Agreement and thus the Developer/Land Owners will file an application for sanctioning Map prepared by the Architect Engineers before the Patna Municipal Corporation/Danapur Nizamat Nagar Palika under Bihar Municipal Act, 2007.



Shankar Kumar Dub

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Ajit Kumar
DIRECTOR

Meen Ranjan
06/04/2015

Amit Kumar
06/04/2015

Rahul Ranjan
06/04/2015

Sudhant
06/04/2015

3. The Owners handed over their Schedule - I below landed property of this Development Agreement to the developer for construction of Commercial Multistoried Building and the entire cost to be incurred for construction of the same including cost of necessary approval & fees for sanction the map shall be borne by the developer in their own risk and responsibility. The developer will construct the building with **Four years six month** with a grace period of additional Six months after sanctioning the Map by Patna Municipal Corporation/Danapur Nizamat Nagar Palika and the Developer and the owners will or shall distribute their shares in the said Commercial Multistoried Building after sanctioning the map as per ratio mentioned above as agreed among themselves first.

4. The name of the proposed Commercial Multistoried Building shall be "JAGAT BISAKA CITY" or as decided by the Developer & Owners.

5. That it is further agreed by the parties that any alteration in the approved building plan within the parameter of the P.M.C./Danapur Nizamat Nagar Palika or any Govt. Agency Building Rules and Regulations, which may be deemed necessary during or after sanctioning the building plan shall be done by the developer with the prior consent from the owners. However such consent shall not absolve builder for deviating beyond the limit of bylaws. Builder agreed to pay the penalty/making good structure during the period of construction.

6. That the certificate of the architect appointed with mutual consent regarding measurement of the super built up area, built up area and common service area will be the final and binding upon both the parties.



Shailendra Kumar Singh
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Amit Kumar
06/04/2015
DIRECTOR

Anil Kumar
06/04/2015

Mehar Rajan Lal
06/04/2015

Rahul Ranjan
06/04/2015
06/04/2015

7. The Owners shall, after the execution of this Agreement, allow the Developer, their ~~staffs~~, Engineers, Architects, workers etc. to enter upon the Schedule - I below property to enable the Developer to carry out various development works as stipulated in this agreement and for that, the Owners will have no objection nor they will create any hindrances for the same till the date as per this agreement except for inspection and checking of quality work..

8. That the ~~Developer~~ shall develop the Schedule - I below property themselves at their own cost and will be responsible for the development of the said land and neither the Owners nor any persons claiming through the Owners shall have any right to interfere in the development of the said land subject to the said terms, so long developer will use the standards materials.

9. That the Land Owners to verify & supervise the quality of materials to be ~~used for~~ construction of the building in presence of the developer. If the Land Owners find that the materials used for construction is not up-to the mark, the developer shall replace inferior materials.

10. The Owners and developers hereby undertake not to sell, dispose off, alienate, ~~charge, encumber~~, sublease or otherwise transfer their Schedule - I below landed property or any part thereof and further undertake not to do any act(s), deed(s) matter(s) or thing(s) as shall be in breach of terms of this Development pursuant to this Development agreement.

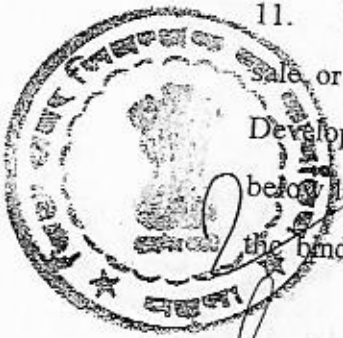
11. The Developer shall be entitled to enter into agreement for ~~sale~~ or otherwise allot the total units out of 50% share of the Developer in the said constructed building over the Schedule - I below landed property of this Development Agreement subject to the binding condition put forth by Owners after allotment to the

Rahul Ranjan

06/04/2015
Sudhant

Amit Kumar
06/04/2015

Mehar Ranjan Lal
06/04/2015



Shailendra Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Director
06/04/15

owners share and which does not form part of the Owners' shares, whenever required by the Developer after identifying Owners' share subject to the said terms.

12. That the Owners shall also have and enjoy their shares to be delivered subject to the said terms fully with the allottees or purchaser or purchasers of the developer regarding commercial space as multiplex, shops, Offices and other common commercial spaces and car parking spaces as well common facilities in the said Commercial Multistoried Building.

13. That the developer may get into an agreement with financial institution or its prospective buyer or buyer for completing the construction of the aforesaid Commercial Multistoried Building in respect of their shares excluding the shares of Land owners. The Developer hereby agrees that all the loans/advances taken for the purpose of developing and constructing the Commercial Multistoried Building would be repaid by them, for which the LAND OWNERS will not be responsible in any manner.

14. That in any case, developer receives loan from any financial institution or takes advances from any prospective buyer or buyers or takes loan from any Third Party in respect of commercial units in the Multistoried Mall as Multiplex and Car Parking spaces, in that case such loan or advances shall exclusively be charged on the head and share of the developer/company and their prospective buyer or buyers and they will alone be responsible for its return including that of interest with which the LAND OWNERS shall have no concern.

15. That this development Agreement is being registered as per the provision of Section 21(4) of the Bihar Apartment Ownership



Shailendra Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

[Signature]
DIRECTOR

Rahul Ranjan
06/04/2015

Anil Kumar
06/04/2015

Meen Ranjan
06/04/2015

Anant
06/04/2015

Act, 2006 and hence as per provisions of Section 5 and others, the Developer and the LAND OWNERS shall be absolute Owners of their aforesaid calculating shares of 50%-50% individually and they will be entitled to sell/transfer their shares separately and for that no Power of Attorney is required under the Bihar Apartment Ownership Act, 2006 and this Development Agreement is registered under the provision of Bihar Apartment Ownership Act, 2006 before the Registering Authority, Patna. However, for the sake convenience, the said Land owners and their co-sharers and their legal heirs and successors-in-interest and Developer and its heirs and nominees and other office bearers of the Company will or shall liable to pay the Service tax, Income Tax, Property tax and other taxes in respect of their shares separately to the State or Central Govt's Authority Concerned under the law.

16. The Developer has been satisfied with the right, title and interest and possession of the Owners after supervising all original title deeds, documents and papers relating to the Schedule - I below property and the Land Owners and their representative will look after all the works and affairs regarding construction of the building complex and agreed to takeover for development on as is where is basis.

17. For the Success of the entire Commercial Multistoried Building, the Developer and/or with the representative of Land owners, will control and manage the tenancy in respect of commercial units and commercial spaces as Multiplex Commercial Mall and Car Parking Spaces on the Basement Floor of the said Building Complex and it approval for the uniqueness and the completeness. For this purpose, the Developer and its prospective buyer or buyers and Owner/Owners and their heirs and legal



Pratishtha Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Pratishtha Kumar
06/04/15
DIRECTOR

Rahul Ranjan
06.04.2015
Amit Kumar

Amit Kumar
06/04/2015

Meenu Ranjan Lal
06/04/2015

representatives or their purchaser or purchasers may form a Co-operative society/Association of person, body corporate etc. for maintenance of common services of the building in presence of the Owners and the prospective buyer and buyers of the developer and in due course, the Owners and their nominee(s) shall become members of such organization formed by the Developer in respect of unit in the said Multistoried building complex fell in their shares and the Owners and their nominees, respective agents, servants, licenses, tenants etc. shall be bounded to abide by the rules and regulations as be formed by the developer or the organization from time to time and they shall be bound to contribute towards the costs of formation of such organization as well as to pay the regular maintenance charges as be fixed and revised from time to time by the such committee for the maintenance and management of the entire building complex. The cost of such maintenance charges shall be proportionately borne by Owners their heirs and successors-in-interest or their purchaser or purchasers after taking possession in all respect of premises, services & amenities as per their share of 50% Super Built up area allocated in the said Commercial Multistoried Building.

18. The nominee/s of the developer shall own and hold possession of the building comprised in the developer's share according to the Agreement finalized by the Developer and the Owners and his nominee(s) shall be bound to hold and own possession of the Owners' shares as mentioned above in the said building on the same terms and conditions as be contained in this Development Agreement.

19. The common area shall jointly be owned by all the Units Owners of the said building with equal entitlements to use all



Shailendra Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

Rahul Ranjan

06/04/2015

Sudhant
06/04/2015

Anit Kumar

06/04/2015

Meenu Ranjan Ltd.

06/04/2015

Ajit Kumar
06/04/15
DIRECTOR

common areas and facilities extended for utilization by the occupants of the said building on the said terms and conditions applicable to all, for such utilization. No Units Owners of any part of the said building will have any exclusive right, title and interest over the common areas and common facilities except the right of common use.

20. That the Developer and Owners agreed among themselves that if any levy is imposed by Patna Municipal Corporation/Danapur Nizamat Nagar Palika or any other public body or bodies or the Government for the development/betterment of the area in which the Schedule - I below property is located or any other levy become applicable on the said land or the building thereon, then the same shall be paid by the Developer and Owners or their allottees, buyer or buyers separately in the same proportions as their respective shares of super built up area as mentioned above in the said building.

21. It is agreed that the developer shall carry out all the work of development in their names or in the name of the Developer and the Developer shall not do or cause to be done any act, deed, matter or thing in the name of the Owners. It is expressly understood that all the agreements, arrangements or writings which the Developer may enter into shall be in their own name and not in the name of the Owners.

22. That this agreement shall not to be deemed to constitute a partnership between the Owners and the Developer or an agreement for sale of the plot by the Owners to the Developer and shall not be deemed to bind the parties hereto except specifically recorded herein. The Developer shall solely be liable and responsible for any liability in connection with the construction of



Shankar Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Arjit Kumar
06/04/2015
DIRECTOR

Rahul Ranjan
06/04/2015
06/04/2015

dwelling units in the land beneath the said building. The Owners and the Developer shall be solely responsible from the date of possession for various expenses, taxes such as water charge, property tax, electric bills in respect of respective portions as mentioned ~~aforsaid~~.

23. That developer shall indemnify and keep indemnified the Owners from and against all actions, claims, demands, proceedings, fines, penalties and all costs, expenses and damages incurred or suffered by the Owners in the course of such development.

24. That no change modification or alterations to this agreement shall be done without the written consent of the Owners and Developer. The parties hereto undertake not to contravene any of the terms of this Development Agreement.

25. Landowner No. 1 Mr. Shailendra Kumar Sinha, and Land Owner No. 2 Smt. Meera Ranjan Lal are the ~~separate~~ persons having $\frac{1}{4}$ share in 50% each allotted /distributed by the developers in their name and interest as this being their individual properties as they have purchased the property on their behalf as individual property for themselves. That the Land Owners Nos. 1, and 2 namely Sri Shailendra Kumar Sinha and Smt. Meera Ranjan Lal will or shall get their shares $\frac{1}{4}^{\text{th}}$ out of 50% each shares after completing the construction by said Developer as per sanctioned map.

As the said Land Owner No. 2 authorizes the Land Owner No. 1 Sri Shailendra Kumar Sinha to get her $\frac{1}{4}^{\text{th}}$ share from the said Developer/Company out of 50% shares of constructed area of the said proposed allotted area and further Sri Shailendra Kumar Sinha will or shall get his right to Transfer her right, title and



Shailendra Kumar Sinha
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

[Signature]
DIRECTOR

Rahul Ranjan
06/04/2015
Smt. Meera Ranjan Lal

Meera Ranjan Lal
06/04/2015
Anita Kumar
06/04/2015

interest with possession in respect of $1/4^{\text{th}}$ share in favour of intending purchaser & purchasers after getting her $1/4^{\text{th}}$ share from the said Developer/Company and shall remit the amount to her after meeting her tax liabilities and performing legal work required for the said transfer. After meeting the cost in such legal formalities the total amount received on her behalf Sri Shailendra Kumar Sinha shall transfer the money as required and directed by her i.e. Smt Meera Ranjan Lal and the developer shall cooperate in this regard.

26. Land Owner No. 3 Shri Amit Kumar, purchased the said property out of the funds of their HUF headed by the Karta, being his father Shri Ashok Kumar Verma and his younger brother Sri Ranjit Verma, as property of their HUF. And they have decided for the allotment of their $1/4$ share out of 50% allotted /Distributed by developers in equal share i.e. $1/3$ proportionate share to each co sharer of the HUF - namely Sri Ashok Kumar Verma, (Father) son of Late Sri R.N.Pd. Verma, Sri Amit Kumar and Sri Ranjit Verma, both sons of Sri Ashok Kumar Verma, each having $1/3$ share out of their share in the developed constructed area out of $1/4$ of 50%. for which the Land owners No.3 declares and authorizes the developer for distributing in the like proportion.

AND similarly, out of above joint land owners No. 4 & 5, being two brothers of HUF, having $1/4$ share in above land, declares that the above named property was acquired out of funds of Joint Hindu Family (HUF), consisting of altogether five brothers



Shailendra Kumar Sinha
06/04/2015

Rahul Ranjan
06/04/2015

And in the name of
06/04/2015

Amit Kumar
06/04/2015

Meera Ranjan Lal
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Ajit Kumar
06/04/2015
DIRECTOR

namely Late Ashok Kumar, Late Dilip Kumar, Rajesh Ranjan , Sudhir Ranjan and Rahul Ranjan, all sons of Late Ram Laxhan Prasad and their heirs and successors-in-interest and presently they are members of Hindu Undivided Family (HUF). After the death of two brothers the HUF consisting of five brothers decided to separate and distribute the share in the common family properties standing in the names of each members, and for that they have executed a separate family agreement /Yadast amongst the family members. And as per the said agreement of partition/arrangement deed the share in this properties shall be distributed in the following manner:- Out of $1/4^{\text{th}}$ share in 50% of super built-up area 55% shall be allotted/distributed to Smt. Indira Verma wife of Late Dilip Verma and 45% shall be allotted/distributed to the remaining ~~four~~ ^{LANDOWNERS OF THIS PROPERTIES.} ~~brothers~~ ^{brothers}. That the said Land Owners jointly declares that they will or shall get their shares out of $1/4^{\text{th}}$ in 50% shares to be allotted by the developers after completing the construction by said Developer as per sanctioned map as stated above.

28. Under the Circumstances set forth above the Developer/ Company will or shall delivered the 50% shares from the total constructed area along with proportionate share in Land as per Bihar apartment ownership act 2006, from the proposed Commercial Multistoried building complex as the shares mentioned above among the said land owners and their above named Co-sharers as stated above after completing the



Shailendra Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

Mess. Ranjan

06/04/2015

Ankit Kumar
06/04/2015

Rahul

Rahul Ranjan

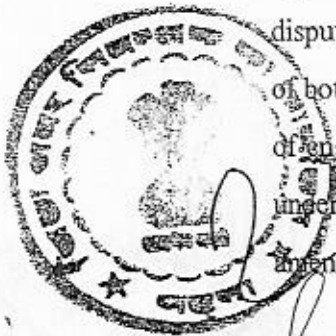
06/04/2015

Ankit Kumar
06/04/2015

construction of said Commercial Multistoried Building as per Sanction Map subject to the terms of this Development Agreement.

29. That the Owners agree and undertake that in case of any dispute or litigations by person(s) claiming to be the Co-sharer or content in Schedule - I property or claiming their right, title and interest through the Owners, relating to the right, title and interest regarding the Schedule - I property and ongoing construction and development activities shall not be stopped or affected in any manner and the same shall be matter of the Developer and the Owners shall keep the developer indemnified and development activities shall be free from all hindrance(s), so that the project may be completed in time and in the larger interest of investment made investor's interest involved and factor of cost escalation. However, if the situation warrants stoppage of work by the fault of Land owners, in such case extension of time of completion of the agreed structure shall be the sole remedy & compensation without prejudice to Owners' right under this agreement. Similarly if the construction is stopped by the fault of developers, in such case extension of time of completion of the agreed structure shall be the sole remedy & compensation without prejudice to developers' right under this agreement.

30. That in case of any dispute or differences between the parties arising out of relating to this Development Agreement and Agreement for sale, the same shall be settled by reference of the dispute or differences to the arbitrator appointed by mutual consent of both the parties from the suggested three name by the first party of engineering profession and such arbitration shall be conducted under the provisions of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time at Patna.



Shailendra Kumar Singh
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

ANIL KUMAR
DIRECTOR

Rahul Ranjan
06/04/2015
Sundar Singh
06/04/2015

Amit Kumar
06/04/2015

Meer Ranjan Lal
06/04/2015

06/04/15

31. That only court of Patna shall have the exclusive jurisdiction over all the matters of dispute arising in respect of and from this Agreement.

32. That the Land Owners have been received a sum of Rs. 50,00,000/- (Rupees Fifty Lac) only non refundable amount at the time of execution of this Development Agreement by difference cheques and by cash as details in hereunder:-

1.	12.10.2014	By Cheque No. 000312	Rs. 30,00,000/-
2.	17.10.2014	By Cheque No. 000315	Rs. 20,00,000/-
Total :			Rs. 50,00,000/-

SCHEDULE - I

DESCRIPTION OF THE PROPERTY HEREBY DEVELOPED

ALL THAT peace & parcel of the vacant land measuring an area of 34.5 Kathas i.e. 107.8125 decimals, situated at Mauza - Saguna at present so called as Danapur-Khagaul Road, P.S. Danapur, Revenue Cadestral Survey Thana Danapur & Pargana Phulwari, Sub Registry Office, Danapur, District Sub Registry Office and District - Patna bearing Thana No. 23, (Twenty-three), appertaining to Tauzi Govt. of Bihar, Khata No. 25, 23 & 1 (Twenty-five, Twenty-three & One), Part of Cadastral Survey Plot No. 487 and 436 (Four hundred eighty-seven and four hundred eighty-six) and annual rent Rs. 10/- besides cess payable to the Govt. of Bihar through the Circle Officer, Danapur, Patna, under Zamabandi (Demand) nos. 2324, 2325, 2326, 2327 and 2328 and the same is bounded as follows:-

BOUNDARY: *Valuation Code No-185*

North : Brahmdeo Rai, Failu Gope, Mannu Rai and Ram Sundar Rai

South : Munna Rai

East : Vijay Bihari Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd.

West : Danapur-Khagaul Road.



Shankar Kumar Sub
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Amit Kumar
06/04/2015
DIRECTOR

Rahul Ranjan
06/04/2015
06/04/2015

Meera Ranjan
06/04/2015

The Valuation of the Schedule - I landed property is Rs. 23,28,75,000/-

Annexure - I

(Forming part of the Agreement)

(A) Services, Amenities & Maintenance -

The Developer will provide the following services and amenities in the said Commercial Multistoried Building in consultation from the Owner no.1 (as representatives of others owners).

(i) **WATER** : Twenty four hours water supply from own deep tube well having submersible pump (Crompton Make) connected to overhead water tank having required capacity. All water lines to be concealed with ISI mark pipes.

(ii) **ELECTRICITY** : Electricity supply of proper load along with transformers for the common area of the building shall be taken from the Bihar State Electricity Board as per the norms of the commercial complex.

(iii) **GENERATOR** : A noiseless stand by generator /DG set of suitable capacity are to be provided for power backup of suitable make for common area.

(iv) **LIFT** : Required number of automatic lifts (each lift having minimum 8 passengers capacity) are to be provided as per rules either of OTIS/ Schindler/Johnson Make of best/first quality..

(v) **PARKING** : Basement parking with sufficient lightening and ventilation as per the law of land

(B) TECHNICAL SPECIFICATIONS :-

All hardware items shall be of standard quality bearing ISI mark, durable and maintenance free with modern look.

(i) **STRUCTURE** : RCC Frame, earthquake resistant structure with anticorrosive TMT steel ISI Mark and brick works in cement mortar as per design and specifications of structural consultants. The building must be designed to bear the load of additional one floor - a provision for additional FAR if allowed as stated above.

(ii) DOORS / WINDOWS :

Full Anodized deep brown or white colored Aluminum doors and windows with AL sections (having sufficient width) along with



Harish Chandra Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Director
DIRECTOR

Rahul Ranjan
06.04.2015
N. d. w. ant. an

Meer Ranjan Lal
06/04/2015
Amit Kumar
06/04/2015

Director
DIRECTOR
06/04/15

toughened glass. Properly concealed steel rolling shutter to be fitted at the entrance gate/door of every office space.

(iii) **FLOORING** : Vitrified Tiles in the interiors with good quality Granite/ marble & golden border / granite or Vitrified Tiles in the common areas.

(iv) **WALL FINISH** : All walls shall be finished with POP on plastered surface with one coat of primer.

(v) **BATHROOMS** : Floors with Vitrified tiles or Granite/ Marble. Walls with glazed ceramic tiles with dado up to 7 feet height. White / Colored glazed vitreous sanitary ware including Cistern of ISI mark (Hindware / Cera Make). Chromium plated CP fittings of JAGUAR / MARC/ CERA/PARRYWARE Make first quality.

(vi) **STAIR CASE** : Steps Granite/ Marble flooring along with Stainless Steel railings of good quality.

(vii) **PARKING AREA FLOORING** :

Parking area to be laid with suitable interlocking tiles or suitable floor for longevity.

(viii) **EXTERIORS** : Combination of Aluminum Composite Panel (ACP), Tinted glass (suitable for exteriors) and tiles of good quality giving permanent finish in the front and other three sides having combination as above along with texture finish of good quality.

(ix) **WATER PROOFING** : Suitable water proofing measures to be taken especially in the basement and the ground floor with chemical treatment from expert professional.

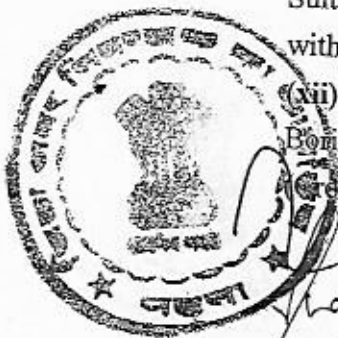
(x) **ELECTRICAL** : Common area electrical wiring in concealed conduits with copper wires of ISI mark of proper rating. For office spaces, Lighting, Fan & AC points shall be provided, if required.

(xi) **OVER HEAD WATER TANK** :

Suitable Over head leak proof concrete tanks of adequate capacity with segmentation are to be provided.

(xii) **BORING AND TUBEWELL** :

Boring and Tube well of adequate capacity with submersible pump (Grimpton Make) is to be provided.



Charande Kumar
06/04/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Ashish
6/4/15
DIRECTOR

Rahul Ranjan

06.04.2015

Sudhakar
06.04.2015

Anil Kumar
06/04/2015

Meer Ranjan
06/04/2015

IN THE WITNESS thereof, both aforesaid parties have put their respective signature in token of acceptance of the terms and conditions as settled above in the presence of follows witness:

WITNESSES:

1.

Ravindra
06.04.2015
RAVINANDAN KR SINHA

② Satyendra Kr Singh
85, C.D.A Colony
Shastri nagar
Patna-85

2.

6/4/15
हरिहर कुमार
292 कल्याणपुरी रोड
पुलौवा-854204
6/4/15

SIGNATURE OF THE LAND OWNERS.

1.

Shailendra Kumar Singh
06/04/2015

2.

Mukul Ranjan Lal
06/04/2015

3.

Amit Kumar
06/04/2015

4.

Anurag Kumar
06/04/2015

5.

Rahul Ranjan
06.04.2015

SIGNATURE OF THE DEVELOPER.

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

Aziz Khan
DIRECTOR 6/4/15

Typed By:

Amarjit Kumar

(Amarjit Kumar)
Rajendrapath, Patna



Drafted By:-

Ramanand Pd. Keshri
6.4.15
(Ramanand Pd. Keshri), M.A., LL.B.,
Advocate

Collectorate Bar Association, Patna
Chamber: Rajendrapath-Bhattacharya Road,
Patna- 1, Mob.:9334125743

6/4/15

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act

Rs. 4758500/-

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act

Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper

Rs. 0/-

Amt. paid through Bank Challan

Rs. 4825175/-

Registration Fee

LLR + Proc Fee Service Charge

FEE PAID	A1	1000	C	0	H1b	0	K1a	0	Li	0
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Lii	0
	A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25
	A10	0	E	60000	J1	0	K2	0	Na	0
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		0
	TOTAL-									66025

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

650

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 66675

Date: 06/04/2015

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 06th April 2015 by Shailendra Kumar Sinha S/O- Sri Birendra Kumar Sinha by profession Others. Status - Executant

Shailendra Kumar Sinha
06/04/2015

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 06/04/2015

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Manoj Kumar' age '32' Sex 'M', 'S/O-Rajeshwar Singh', resident of 'Murlichak, Patna-14'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 06/04/2015

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 71 on pages on 263 -288 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-11 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 06/04/2015

Registering Officer
Patna

Token No. : 3370

Year : 2015 S.No. : 3313

SCORE Ver.3.0

Deed No. : 2964



अन्दर भी0..... शब्दों में (ल0.....) त्रि

चेतुर् प्रति विहार सरकार

(जमाकर्ता हेतु)

निबंधन विभाग

गैर मानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के मुगतान के लिए बैंक चालान

1. पत्रकार का नाम/पता - JAGAT HOMES & RESORTS PRIVATE LIMITED, registered office at 3, 1st floor, (जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) Jugal Smriti Complex, Khajpura, Bailey Road, Patna - 8000014
2. दस्तावेज का प्रकार..... विकास एकरारनामा ...
3. निबंधन कार्यालय पटना सदर.....
4. बैंक का नाम एवं शाखा भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, पटना
5. भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण.....

क्र0सं0	भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम
(क)	स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष - 0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण उप-मुख्य शीर्ष 02 - स्टाम्प गैर व्यापिक तपु शीर्ष 103-दस्तावेजों के स्टाम्प शुल्क तपु उप शीर्ष 0001, सकल प्राप्ति 7549-7549 सकल प्राप्ति विपन्न कोड - R0030021030001	46,58,500/- 1,00,000/- 47,58,500/-
(ख)	निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष - 0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण उप-मुख्य शीर्ष 03 - पंजीकरण शुल्क, तपु शीर्ष 104-दस्तावेजों के पंजीकरण शुल्क तपु शीर्ष 0001, प्राप्ति 7549-7549 सकल प्राप्ति विपन्न कोड - R0030031040001	60,000/- 1,000/- 5,000/- 25/- 66,025/-
(ग)	भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष - 0029- भूराजस्व तपु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति-उप शीर्ष - 0006 अन्य मद- प्राप्ति 7549-7549 सकल प्राप्ति भूमि निबंधन शुल्क से आय विपन्न कोड - R0029008000006	
	भुगतान का माध्यम : नगद/बैंक/ड्राफ्ट कुल राशि शब्दों में अठ्ठासह लाख बीबीस हजार पाँच सौ पचीस रुपये मात्र	48,24,525/-

स्थान Patna
तारीख 6/4/2015

बैंक/ड्राफ्ट का विवरण फीट पर अंकित कर दे
बैंक/ड्राफ्ट की राशि अन्तर्गत लेने के पश्चात ही बैंक भेजें

FOR USE OF THE BANK

संश्लेष नं0..... तारीख..... उपर्युक्त बोलत
संख्या 05 में दिए गये विवरण के अनुसार रु.....
शब्दों में.....

A/C - 011049754042

गति रु..... शब्दों में..... निबंधन हेतु सर्विस चार्ज जमा करने का विवरण
जमा करने की तिथि :..... एकाई सेवा सं0:
बैंक कोट सं0.....

बैंक की प्राप्ति एवं मुद्रा

TARANG

पेमेंट ऑर्डर

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

पेमेंट नं0.....

पेमेंट का प्रकार : पेमेंट ऑर्डर के तहत पेमेंट जमा करवाया गया है।
पेमेंट ऑर्डर का नं0.....

Type of Account: SBICRDR (Savings Bank Current Deposit)

पेमेंट नं0.....

A/C No. 011049754042

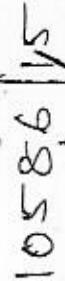
क्रेडिट करने के लिए बैंक को भेजें।
For the credit of the bank

पेमेंट (रुपये).....

पेमेंट (रुपये).....

एएम एमएम SWO.....

क्रेडिट ऑफिसर/पेमेंट ऑफिसर



A 479899

King, N. DIRECTOR

District Registry Office, Patna

Token Number 10586

Reg. Year 2015

Serial Number 10395

Deed Number 9234

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Pran Nath Singh (Dir.)						

Sig.

Pran Nath Singh
12/10/15

Executant Dilip Kumar

Sig.

डिलीप कुमार
12/10/15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Presented Dilip Kumar

By

डिलीप कुमार
12/10/15



Identified Manoj Kumar

By

मनोज कुमार
12/10/15



Sig.

SCORE Ver.3.0

Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 2800sop001



डिलीप कुमार
12/10/2015

यहाँ पर जमीन, मालिक कहा गया) जिनके उत्तराधिकारीगण, आश्रितगण, कानूनी प्रतिनिधि, प्रशासक, निष्पादक या हित उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित रहेंगे, जो प्रथम पक्षकार हैं।

और

जगत होम्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा० लि०, पटना, जो भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत निगमित है जिसका रजिस्ट्रेशन नं०-U45200BR2005PTC011448 है जिसका कार्यालय 3, पहला तल्ला, जुगल स्मृति कम्प्लेक्स, बेली रोड, खाजपुरा, पटना - 800014, द्वारा निदेशक (Director) श्री प्राण नाथ सिंह, पुत्र श्री जगत नारायण सिन्हा, निवास स्थान मुरलीचक भाया जगदेव पथ, थाना - हवाई अड्डा, पत्रालय - बी. भी. कॉलेज, पटना - 800014, जिला - पटना, बिहार, भारतीय नागरिक, जिन्हें यहाँ पर विकासकर्ता/बनावटकर्ता कहा गया है, जिनके प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधिगण, समुदेशनी और/या हित उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित रहेंगे, जो द्वितीय पक्षकार है।

(क) यह कि इस विकास एकरारनामा के अनुसूचि - 1 में वर्णित भू-सम्पत्ति, जिसका विकास एकरारनामा होना है, सर्वे खेसरा सं० - 483 में रैकवा 10 (दस) कट्ठा जमीन, अन्दर खाता नं. - 32, तौजी 5233 और थाना नं० - 23, मौजा - सगुना, परगना फुलवारी, सर्वे थाना एवं पुलिस थाना - दानापुर, जिला - पटना, बिहार में अवस्थित है के पूर्ण जमीन मालिक, स्वामी, स्वत्वाधिकारी, सर्वाधिकारी और दखलकार जमीन मालिक हैं।

अतएव, उपर्युक्त भूखण्ड जमीन मालिक की खास अर्जित सम्पत्ति है जिसे उन्होंने एक निबंधित निर्विवाद विक्रय पत्र दिनांक 27.07.1976 ई० के द्वारा श्री रामलखन साव, पुत्र श्री बाल गोविन्द साव, पेशा - कास्तकारी, निवास स्थान सगुना, थाना - दानापुर, जिला - पटना से अल्पव्यस्क/नवालिग अवस्था में अपने पिता स्व० नन्हक महतो, वल्द



Handwritten signature
12/10/2015

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR
12/10/15

Handwritten signature



स्वर्गीय श्री महादेव महतो के उपर आश्रित रहने के रूप में खरीदगी किये है। जिसका बुक सं० - 1, जिल्द सं० - 31, पृष्ठ सं० - 375 से 377 वसिका सं० - 3927 सन् 1986 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर में निबंधित होकर दर्ज है। परन्तु उक्त निबंधित निर्विवाद विक्रय पत्र में भूलवश खेसरा सं० - 483 के जगह पर 463 कातिव के द्वारा खाना नं० - 5 में लिखा गया। जिसका सुधार एक निबंधित सुधार पत्र दिनांक 05.02.1990 ई० के द्वारा उपर्युक्त विक्रेता श्री राम लखन साव द्वारा उक्त अल्प व्यस्क क्रेता श्री दिलीप कुमार के पक्ष में किया गया, जिसका बुक सं० - 1, जिल्द सं० - 135, पृष्ठ सं० 67 से 69 और दस्तावेज सं० - 759 सन् 1990 ई० के रूप में अवर निबंधन कार्यालय दानापुर में निबंधित होकर दर्ज है। इसके उपरांत जमीन मालिक दिलीप कुमार अल्प व्यस्क अवस्था में अपने पिता स्व० नन्हक महतो के संरक्षण में उपर्युक्त सम्पत्ति पर दखल कब्जे में होकर वो रहकर उपयोग वो उपभोग करते रहे, चूँकि अब जमीन मालिक व्यस्क (बालिग) हो चुके हैं। इसके बाद इस विकास एकरारनामा के अनुसूची - 1 में वर्णित सम्पत्ति पर जमीन मालिक शान्तिपूर्ण दखल कब्जे होकर वो रहकर मालिक मुस्तकील हुए वो रहते चले आते है और हैं और अपना नाम बिहार सरकार के अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) में दाखिल खारिज कराकर राजस्व रसीद जमाबंदी सं० - 1009 पर कटाते चले आते हैं एव भूमि हर प्रकार के नुकश, हकियत, स्वत्वदोष, ऋणभार एवं अन्य तरह विवादों तथा झंझटों से बिल्कुल पाक वो साफ है। इसतरह जमीन मालिक को निम्नांकित भूमि पर पूर्ण अधिकार एवं सम्प्रभुता स्थापित है।

अतएव, जमीन मालिक बताये कि उपरोक्त सम्पत्ति जो इनके दखल कब्जा के साथ हक, स्वामित्व एवं अधिकार में हैं और जो सब तरह के नुकस हकियत, स्वत्वदोष, अर्जन, विवादों एवं झंझट से बिल्कुल मुक्त है जो वर्तमान हालत में जमीन मालिक को अपना पूर्ण हक, अधिकार और स्वामित्व हस्तांतरण पूर्ण एवं अंश में करने के साथ-साथ उसपर व्यवसायिक



12/10/15

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

12/10/15

मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के रूप में विकसित करवाने का अधिकार प्राप्त है।

अतएव, जमीन मालिक की इच्छा हुई कि वे इस विकास एकरारनामा के अनुसूची - 1 में वर्णित अपने जमीन पर एक व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण और विकास किसी भी विकासकर्ता/कम्पनी द्वारा किया जाय।

विकासकर्ता व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण करने का काम करते हैं एवं विकासकर्ता को जमीन मालिक उक्त दिलचस्पी के बारे में जानकारी हुआ तब, विकासकर्ता ने जमीन मालिक के पास व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन इनके जमीन पर बनाने की दिलचस्पी व्यक्त किया और सम्पर्क किया और ऑफर दिया कि सम्परिवर्तित आधार पर उपर्युक्त भूमि, जो इस विकास एकरारनामा के अनुसूची - 1 में वर्णित है, को विकसित कर एक व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण अच्छे ढंग से बनायेगें और कुल बनावट में से प्रतिशत के अनुसार उक्त भूमि पर व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण करेगें एवं जमीन मालिक का तय हिस्सा जमीन मालिक को सुपूर्द कर देंगे। तत्पश्चात जमीन मालिक और विकासकर्ता आपस में उपर्युक्त बातचीत को तय वो पोखता किया और उपर्युक्त बातचीत दोनों पक्षों के बीच तय वो पोखता होने के पश्चात् इस विकास एकरारनामा को दोनों पक्षों ने निम्नलिखित शर्तों एवं स्थितियों पर एकरार को स्वीकार किया, जो इस प्रकार है:-

- (1) यह कि उपर्युक्त सम्पत्ति जमीन मालिकों दखल कब्जे में है साथ ही वे उसके निर्विवाद, स्वामी, हकदार और दिलचस्पीकार हैं जो सब तरह के ऋणभारों और स्वत्वदोषों से बिल्कुल मुक्त है और वे पूर्णरूपेण स्वत्वाधिकारी और निर्विवाद अधिकारी एवं हकदार उपर्युक्त सम्पत्ति के कुल

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

12/10/2015
DIRECTOR



या इसके अंश को सम्परिवर्तित आधार पर हस्तान्तरित करने में सक्षम हैं।

(2) यह कि जमीन मालिक अपने उपर्युक्त भूमि या इसके अंश को विक्रय, गिरवी, तबादलनामा, पट्टा, उप-पट्टा, न्यास, कर निर्धारण, रेहन की गई वस्तु या किसी तरह के किराया या कोई अन्य ऋणभारों में नहीं दिया है।

(3) यह कि जमीन मालिक ने उपर्युक्त भूमि को अर्जन/अर्जन की मांग सम्बन्ध किसी प्रकार की अधिसूचना या इससे संबंधित कोई सूचना पूर्व में या वर्तमान में प्राप्त नहीं किया है और न उससे संबंधित पटना नगर निगम/दानापुर निजामत नगरपालिका से ही पूर्व में किसी प्रकार नोटिस/सूचना प्राप्त किया है और न उपर्युक्त भूमि या इसके अंश को आयकर विभाग या कोई अन्य सरकार या इसके प्राधिकार या अर्जन से संबंधित सूचना, अधिसूचना या किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त किया है।

(4) यह कि अनुसूची - 1 में वर्णित भूमि सम्बंधित इस विकास एकरारनामा के पूर्व या बाद में अटैचमेंट या उपर्युक्त भूमि के विरुद्ध कोई फैसला, वाद, डिक्री, रोक, आदेश, सूचना, नोटिस, पेटिशन या निर्णायक आदेश, नहीं हुआ है।

(5) यह कि जमीन मालिक के अलावे कोई अन्य व्यक्ति अनुसूची - 1 में वर्णित भू-सम्पत्ति के पूर्ण भाग या इसके अंश के पट्टेदार, हकदार, स्वत्वाधिकारी या दिलचस्पीकार नहीं है।

(6) यह कि जमीन मालिक अनुसूची - 1 में वर्णित भू-सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य एकरारनामा विक्रय या विकास हेतु किन्हीं के साथ अभी तक नहीं बनाये हैं।

(7) यह कि विकासकर्ता के प्रबंध निदेशक अनुसूची-1 में वर्णित जमीन पर व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के रूप में बनावट एवं विकास करने हेतु अच्छे वास्तुकार से नक्शा बनवायेगे एवं वास्तुकार से बनाये गए नक्शे को पटना नगर निगम/दानापुर निजामत नगर

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

12/10/2015
DIRECTOR



परिषद् के सम्बंधित सक्षम पदाधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु विकासकर्ता या जमीन मालिक अपने हस्ताक्षर से बिहार अपार्टमेंट ऑनरशीप एक्ट, 2006 के अंतर्गत दाखिल करेंगे और नक्शे के स्वीकृत होने के पश्चात उसके अनुरूप व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण करेंगे।

अब दोनों पक्ष इस विकास एकरारनामा को साक्षियों के समक्ष निम्नानुसार अनुसरित करते हैं:-

- 1 जमीन मालिक ने उपरोक्त विकासकर्ता को जमीन का विकास करने के लिए इस एकरारनामा के तहत इजाजत दिया है, जिसपर विकासकर्ता अनुसूचि - 1 में वर्णित जमीन का विकास व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के रूप में करेंगे और उससे संबंधित सभी कार्यों और बातों को पूरा करने के लिए सहमत है। जिसके लिए जमीन मालिक विकासकर्ता को निम्नांकित अनुसूचि - 1 में वर्णित भूमि पर दखल कब्जा बनावट की कीमत पर इस विकास एकरारनामा के माध्यम से सुपूर्द किया, जिसके बनावट में जो भी खर्च होगा, उसे विकासकर्ता वहन करेंगे। विकासकर्ता अपने खर्च से व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन में सेवरेज, ड्रेनेज के साथ जितने तरह का फिटिंग्स, फिक्चर, विद्युत का फिटिंग्स, पानी कनेक्शन, जनरेटर, इंटरकॉम वैगरह की सुविधा के साथ पूर्ण विकसित व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शा के अनुरूप निम्नांकित अनुसूची- 1 में वर्णित जमीन पर जमीन मालिक और दूसरे एवं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करायेंगे एवं सहूलियत देंगे।
- 2 जमीन मालिक और विकासकर्ता ने सामिलात तौर पर निश्चय किया है कि एफ0 ए0 आर0 प्रतिशत पटना नगर निगम/दानापुर निजामत नगर परिषद् के व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन से संबंधित उप नियमों के अनुसार लागू होगा।

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

12/10/15 DIRECTOR



12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015

3 इस विकास स्वरूपनामा के शर्तों लिपिबद्ध होने के तुरंत बाद विकासकर्ता शीघ्रातिशीघ्र उल्लेखित प्रांगण पर व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का नक्शा तैयार करने का काम एक अच्छे और जानकार आर्किटेक्क और इंजीनीयर से आरंभ कर देंगे।

4 विकासकर्ता व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन निर्माण का नक्शा पटना नगर निगम/दानापुर निजामत नगर परिषद् में उसके आदेश के पहले जमीन मालिक से लिखित स्वीकृति लेकर दाखिल करेंगे अथवा किसी भी सक्षम स्थानीय प्राधिकार को बने हुए क्षेत्र को किसी के नाम आवंटित करने का काम करेंगे।

5 जमीन मालिक अनुसूचि - 1 में वर्णित भूमि पर व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन बनाने हेतु निर्मित पूरे हिस्से में से 50 प्रतिशत विकसित हिस्से खुद के प्राप्ति और 50 प्रतिशत विकासकर्ता को प्राप्ति के शर्त पर विकासकर्ता को हर तरह से कर्ज मुक्ति के साथ सुपुर्द किया।

6 विकासकर्ता जमीन मालिक के निम्नांकित अनुसूचि - 1 में वर्णित भू-सम्पत्ति के अलावे अन्य जमीन मालिकों से आवश्यकता अनुसार जमीन लेकर व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण एक या अधिक ब्लॉकों में कर सकते हैं। अगर विकासकर्ता को अन्य जमीन मालिकों से जमीन उपलब्ध हुआ या होगा तो विकासकर्ता अन्य जमीन मालिक के जमीन को मिलाकर व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण करेंगे। जिसके लिए जमीन मालिक अपनी ओर से सहमति देते हैं जिसके लिए दोनों पक्ष आपस में सहमत हैं।

7. जमीन मालिक के निम्नांकित अनुसूचि - 1 में वर्णित जमीन पर जो भी व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण होगा उसमें कुल परम निर्मित व्यवसायिक मॉल /

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

Signature
12/10/15



व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के बनावट में जमीन मालिक का हिस्सा 50 प्रतिशत और इसी के अनुरूप विकासकर्ता का भी 50 प्रतिशत हिस्सा होगा।

8 विकासकर्ता के द्वारा जो रकम व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के विकास एवं निर्माण में वहन करेंगे, तो जमीन मालिक द्वारा विकासकर्ता को सिर्फ जमीन इस विकास एकरारनामा के माध्यम से देने के बदले विकासकर्ता जमीन मालिक को 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) हिस्सा पूर्ण रूप से बने हुए क्षेत्र में बिना कोई कीमत लिए दे देंगे। जिसके जमीन मालिक निर्विवाद रूप में पूर्ण स्वामी, स्वत्वाधिकारी, सर्वाधिकारी और दखलकार होंगे जिसे वे जिस प्रकार से चाहें पूर्ण रूप से स्वामी के रूप में उपयोग वो उपभोग करेंगे और जब जमीन मालिक अपने हिस्से को विक्रय करना चाहेंगे तो विकास कर्ता द्वारा प्रस्तावित एजेन्सियों, फर्मों एवं दिलचस्प व्यवसायिक व्यक्तियों के नाम से ही विक्रय, पट्टा एवं हस्ताणांतरित करेंगे और बकिये 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) व्यवसायिक हिस्सा (पूर्ण रूप से बना हुआ क्षेत्र) विकासकर्ता का क्षेत्र कहा जायेगा। जिसके विकासकर्ता विहार अपार्टमेंट ऑनरशीप अधिनियम, 2006 की धारा 5 वैगरह के अन्तर्गत पूर्णरूपेण निर्विवाद रूप से स्वामी, मालिक, अधिकारी, स्वत्वाधिकारी, सर्वाधिकारी और दखलकार होंगे और उसे विकासकर्ता जिस किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, फर्म और अन्य वैगरह को जिस तरीके से भी चाहें विक्रय एवं हस्ताणांतरित या पट्टा पर तथा किसी अन्य तरह से हस्तान्तरित करेंगे और पूर्ण रूपेण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

9 यह कि व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर बनायी जायेगी और जो कुल क्षेत्र बनावट में होगा उसी को पारा 7 में वर्णित प्रतिशत के आधार पर विकासकर्ता और जमीन मालिकों के बीच विभाजित किया जायेगा और उसी

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

12/10/2015

12/10/2015



के अनुरूप उक्त प्रतिशत के आधार पर दखल-कब्जा एवं खास, दाज वो हिस्सा होगा।

10. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी है की पटना नगर निगम/दानापुर नगर परिषद् के अन्तर्गत व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन नियमावली तथा उपबधियों के अनुरूप व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के निर्माण में बदलाव या परिवर्तन होगा उसका पूर्ण जिम्मेवारी और खर्चों से विकासकर्ता करेंगे। तब जिसे दोनों पक्ष उपर्युक्त प्रतिशत के अनुसार विभाजित कर अपने-अपने हिस्से में ले लेंगे।

11. यह कि जमीन मालिक विकासकर्ता से अपने मिले हुए 50 प्रतिशत सुपर बिल्टअप एरिया हिस्से के संबंध में जिस प्रकार से चाहें बिहार सरकार के अभिलेखों, स्थानीय अभिलेखों तथा जहाँ-जहाँ और जिस-जिस स्थानों के अभिलेखों में अनिवार्य हो वहाँ-वहाँ अपने नाम को नामांकित करा लेंगे या बनावट के संबंध में स्थानीय निकायों में कर निर्धारण करा लेंगे और जमीन मालिक व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के कुल बनावट में जो 50 प्रतिशत सुपर बिल्ट अप एरिया प्राप्त करेंगे उसके संबंध में जो भी भारत सरकार एवं बिहार सरकार के जो भी कर होगा उन सभी करों का भुगतान जमीन मालिक अपने स्तर से करेंगे।

12 यह कि दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी है कि जमीन मालिक के जमीन पर व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के निर्माण होने के बाद तथा जमीन मालिकों को बिना हर्जा-खर्चा के 50 प्रतिशत बनावट विकासकर्ता पूर्ण रूप से विकसित कर जमीन मालिक के हिस्से को सुपूर्द करेंगे। तत्पश्चात् विकासकर्ता नक्शा पास होने के तिथि से करीब चार वर्ष छः माह और एक वर्ष रियायत समय में व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण का काम पूरा कर देंगे अगर विकासकर्ता चार वर्ष छः माह और एक वर्ष रियायत समय

[Signature]
12/10/15

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

[Signature]
12/10/15



में व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण का काम पूरा नहीं करेंगे तो जमीन मालिक को विकासकर्ता प्रति माह अंकन 50,000/- रुपये मात्र हर्जाना के रूप में भुगतान करेंगे।

13 यह कि इस विकास एकरारनामा में उपर्युक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप जमीन मालिक विकासकर्ता को व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के रूप में विकास एवं निर्माण हेतु कुल निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा (सुपर बिल्ट अप एरिया) विक्रय करने हेतु अनुसूची -1 में वर्णित भू-सम्पत्ति पर दखल कब्जा दिया और इसलिए विकासकर्ता का जमीन पर पूर्ण स्वामित्व व अधिकार होगा। इसी तरह से जमीन मालिक को भी अपने मिले हुए 50 प्रतिशत हिस्सा (सुपर बिल्ट अप एरिया) को विक्रय करने का पूर्ण स्वामित्व व अधिकार होगा।

14 यह कि विकासकर्ता विल्कुल स्वतंत्र विकासकर्ता रहेगा और उस बीच कोई तृतीय पक्ष निर्माण अथवा विकास में बाधक नहीं होगा।

15 यह कि जमीन मालिक अपने लिए विकासकर्ता को इस शर्तनामा में दिये गये दूसरे प्रविधानों को निम्नलिखित कार्य दस्तावेज और कोई खास विषय पूर्ण अधिकार दे रहे हैं जो निम्नलिखित है:-

(क) यह कि विकासकर्ता सिर्फ शिल्पकार भूमापक अभियंता, ठीकेदार और दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे।

(ख) यह कि विकासकर्ता सम्बन्धित अधिकारियों के पास विद्युत लाईन लेने अथवा सिमेंट लोहा और दूसरे नियंत्रित वस्तुओं का कोटा लेने के लिए या अनुज्ञा पत्र लेने के लिए आवेदन देंगे।

(ग) यह कि विकासकर्ता कोई रीट सम्मन या दूसरे कानूनी नोटिस आदि लेने और किसी भी न्यायालय दण्डाधिकारी न्यायिक द्रिब्यूनल अथवा दूसरे कार्यालयों में जमीन मालिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे अनुसूची - 1 में वर्णित भू-सम्पत्ति से सम्बन्धित विकास के लिए मुकदमा दायर करेंगे और

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

12/10/15



मुकदमें में हाजिर होकर बचाव करेंगे और कोई भी कार्य किसी भी न्यायालय या किसी पब्लिक व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन जन पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी या ट्रिव्यूनल जो निम्नांकित अनुसूची- 1 में वर्णित भू-सम्पत्ति या इसके विकास एवं निर्माण करने के संबंध में तथा उसके किसी हिस्से के विकास सम्बंधी होगा, करने के अधिकारी होंगे और उसके लिए कोई भी कागजात, वकालतनामा, दावा पत्र, वाद पत्र, आवेदन, आवेदन पत्र, कागज या लिखित किसी भी कागज पर विकासकर्ता हस्ताक्षर करेंगे। किसी भी कानूनी कार्यवाही की हालत में किसी भी न्यायालय में जो जमीन मालिक के अभिरुची के विरुद्ध होगा विकासकर्ता अपने खर्च से जमीन मालिक का हकियत और अभिरुची बचाने के लिए सभी कदम अपनावेगें। इसमें जमीन मालिक विकासकर्ता को हर तरह से सहयोग करेंगे।

(घ) यह कि विकासकर्ता उपरोक्त सम्पत्ति के विकास के लिए जो भी उचित काम दस्तावेज या दूसरी बात जो कानूनी तरह से जरूरत हो करेंगे।

(ङ) यह कि विकासकर्ता अपने हिस्से के क्षेत्र में व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का एरिया या कोई क्षेत्र को किसी को आवंटित करेंगे या बचेगें और उसके पैसा प्राप्त करेंगे उसको निर्माण और विकास में खर्च करेंगे और उसको निर्माण और विकास में खर्च करेंगे या स्वयं उपयोग करेंगे।

16. यह कि व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन निर्माण के समय विकासकर्ता किसी बैंक, आर्थिक संस्था या किसी भी प्राधिकार से कम समय के लिए या किसी भी निर्मित यूनिट एवं यूनिटों के व्यक्तिगत आवंटनकर्ता तथा व्यवयानाकर्ता के खरीदार एवं खरीदारों के लिए निर्माण को पूरा करने हेतु कानूनी इजारा अपने हिस्से का 50 प्रतिशत क्षेत्र को कर सकते हैं या बंधक रख सकते हैं।

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

12/10/15
DIRECTOR

12/10/15
DIRECTOR

12/10/15



17. यह कि अगर यह पाया जाये कि विकासकर्ता किसी बैंक, आर्थिक संस्था या किसी व्यक्ति से उपरोक्त जमीन पर कर्ज लेकर दूसरे मद में खर्च किये हुए हैं तो उसका बंधन जमीन मालिक पर नहीं होगा।

18. यह कि विकासकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पूरा कर्ज विकासकर्ता या इनके खरीदारों के हिस्से से वसूल किया जायेगा और जमीन मालिक को उससे कोई सम्बंध नहीं होगा।

19. यह कि अपार्टमेंट ऑनरशीप अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विकासकर्ता अपने 50 प्रतिशत बनावट के साथ-साथ अनुसूचि - 1 में वर्णित भूमि में अनुपातित भू-भाग के निर्विवाद स्वामी पूर्ण रूपेण होंगे। विकासकर्ता के कुल निर्मित क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत हिस्से पर जमीन मालिक और इनके उत्तराधिकारीगण को उक्त अधिनियम के आधार पर विरोध, आपत्ति तथा दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए जमीन मालिक विकासकर्ता को स्थाई पावर ऑफ एटर्नी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता बिहार अपार्टमेंट ऑनरशीप एक्ट 2006 के अंतर्गत नहीं है।

20. यह कि जमीन मालिक विकासकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि पूर्ण भू-सम्पत्ति, जिसका विकास करना है, पर किसी तरह का नोटिस या घोषणा जमीन मालिक के जमीन पर भू-अर्जन के लिए हो या किसी भी कानून के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु नोटिस हो या पाया जाए, उसकी पूर्ण जिम्मेवारी जमीन मालिक की होगी। अतएव जमीन मालिक विकासकर्ता को यह भी इस विकास एकरारनामा के माध्यम से पूर्ण विश्वास देते है कि आज तक अनुसूची - 1 में वर्णित भूमि के पूर्ण भाग या किसी अंश के एवज में भू-अर्जन हेतु घोषणा या नोटिस या किसी तरह का कानूनी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुआ है और इस तरह निम्नांकित पूर्ण भू-सम्पत्ति बिल्कुल पाक साफ है।

21. यह कि जमीन मालिक यह भी कहते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पटना नगर निगम/दानापुर निजामत नगरपालिका अथवा किसी भी अधिकार क्षेत्र द्वारा लेने या अर्जन हेतु इस सम्पत्ति में या उसके किसी हिस्से पर



JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

Director
12/10/15
12/10/15

कोई नोटिस या आदेश प्रारित नहीं हुआ है। और किसी भी तरह का निगम या किसी दूसरे अधिकारी द्वारा कोई अनुरोध नहीं हुआ है जिससे उपरोक्त सम्पत्ति या उसका कोई हिस्सा प्रभावित होगा।

22. यह कि जमीन मालिक यह घोषणा करते हैं कि इस एकरारनामा में वर्णित भू-सम्पत्ति हर तरह के कानूनी दावा, जप्ति, निशेषात्मक आदेश, मुकदमा, डिग्री, निषेधाज्ञा, दिवालियापन का नोटिश तथा इसके विरुद्ध आदेश, बेनामीदारी या न्यासी गोतिया या हिस्सेदार के दावा, नुक्स हकियत, स्वत्वदोष, झंझट और अर्जन से विलकुल मुक्त है तथा जमीन मालिक निम्नांकित भू-सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को न तो बेचेगें, न किसी को देगें, न हस्तान्तरित करेंगें और किसी के पक्ष में कोई कागज लिखेंगें और वे आगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगें और न कोई दस्तावेज लिखेंगें जो इस शर्तनामा के नियमों के या घोषणा के विरुद्ध हो। अगर निम्नांकित सम्पत्ति पर उपरोक्त सभी तरह दोष पायी जाये तथा भू-सम्पत्ति के संबंध में जो भी अन्य तरह सन्देह या सक पैदा होगा उसे जमीन मालिक अपने खर्च से इस सारे सक और सन्देह को विकासकर्ता के कथानुसार या उनके प्रतिनिधि के कथानुसार दूर करेंगें।

23 यह कि घोषणा-पत्र के सत्यापित करने हेतु जो उपर किया गया है उपरोक्त जमीन मालिक और खास करके अपने स्थाई स्वामित्व के संबंध में और अपने हकियत के सम्बन्ध में घोषणा करते हैं कि यह सम्पत्ति हर तरह के वारदेन से मुक्त है और पुनः वादा करते हैं कि उक्त सम्पत्ति पर या उसके किसी हिस्से पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेगें और न उसको किसी दूसरे के हाथ बेचेगें और न उसको कोई ऐसा काम करेंगें केवल जो इसमें लिखा हुआ है उसी के अनुसार करेंगें और जमीन मालिक यह/भी वादा करते हैं कि सक्षम अधिकारी के यहां सम्पत्ति से संबंधित सत्यापन हेतु सारे कागजात उपस्थित करेंगें।

24 यह कि जमीन मालिक निर्माण में किसी तरह का बाधा उपस्थित नहीं करेंगे। लेकिन व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला



JAGATI HOMES & RESORTS PVT. LTD.

12/10/15

12/10/15

12/10/15

12/10/15

12/10/15

भवन के निर्माण उसमें समान को लगाने एवं उसको निरीक्षण करने का राजी होंगे।

25. यह कि एकरारनामा के निष्पादन के दिन के बाद विकासकर्त्ता कोई भी बाकी देनदारी का जिम्मेवार होंगे। लेकिन एकरारनामा के निष्पादन के तिथि के पहले वो निर्माण के पहले कोई भी देन का जिम्मेवार नहीं होंगा।

26 यह कि विकासकर्त्ता किसी भी तरह से सीधे या चक्करदार कोई गलती नहीं करेंगे जिससे जमीन मालिक के स्वामित्व अधिकार या अभिरुची में बाधा पहुंचे। जबतक कि जमीन मालिक के क्षेत्र का कब्जा विकासकर्त्ता जमीन मालिक को न दे दें।

27 यह कि विकासकर्त्ता जमीन मालिक को कर्ज मुक्त रखें और हमेशा रखेंगे। अगर किसी दावे का दावा, क्षतिपूर्ति या खर्च जो कि कार्यकर्त्ता शिल्पी या निमंत्रित व्यक्तियों द्वारा किया जाये उससे भी कर्ज मुक्त रखेंगे। चाहे वह नौकरी विकास कर्त्ता के द्वारा दी जाय अथवा व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन निर्माण के समय हो

28 विकासकर्त्ता गुणवक्ता नक्शा या ले-आउट और उसके गुणवक्ता पर पूर्ण ध्यान देंगे।

29 यह कि जमीन मालिक पूर्ण बने हुए व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन में अपने हिस्से को विकासकर्त्ता को या किसी अन्य को बेचने के बाद उसकी कीमत प्राप्त करेंगे और भविष्य में किसी तरह का विकासकर्त्ता के हिस्से पर कोई भी मांग या प्रिमियम लेने का उनको अधिकार नहीं होगा।

30 यह कि विकासकर्त्ता और जमीन मालिक इस विकास एकरारनामा में वर्णित उपरोक्त सभी शर्तों एवं नियमों के आधार पर सौहार्द पूर्ण वातावरण में अपने अपने हिस्से को प्राप्त करेंगे और दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से के निर्विवाद रूप से स्वामी होंगे तथा व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन निर्माण के उपरांत जब जमीन मालिक को 50 प्रतिशत के रूप में निर्मित व्यवसायिक



JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

12/10/15

12/10/15

मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन पर दखल कब्जा मिल जायेगा तो जमीन मालिक या इनके खरीदारगण तथा विकासकर्ता इसके खरीदारगण व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के रख-रखाव तथा सफाई एवं रंगाई-पोताई तथा सुरक्षा के लिए एक ऑनर एसोशियशन होगा जिसे व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन में रहने वाले जमीन मालिक तथा इनके खरीदारगण और विकासकर्ता तथा इनके खरीदारगण ऑनर एसोशियशन का लिखित नियमावली बनायेंगे या कानूनी जानकार से बनायेंगे तथा इसके सभी सदस्यगण होंगे तथा व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के रख-रखाव एवं सफाई-सुथरा रखने हेतु जो हिस्सा प्रत्येक एरिया वालों का होगा उसका भुगतान वे सभी ऑनर एसोशियशन को करेंगे तथा सभी ऑनर्स एसोशियशन को चलाने हेतु नियमावली के आधार पर व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के रख-रखाव हेतु पदाधिकारियों का निर्वाचन अपने अनुरूप पद का निर्धारण करते हुए करेंगे।

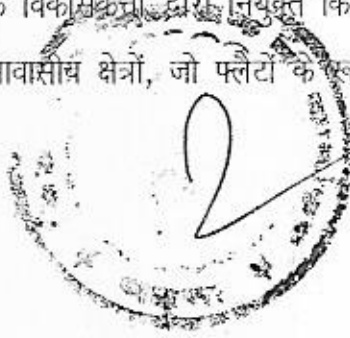
31 यह कि विकासकर्ता तथा जमीन मालिक आपस में यह भी सहमत हैं कि उस व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन को केवल व्यवसायिक दुकान एवं ऑफिस, मनोरंजन क्रेन्द्र तथा - सिनेमा हॉल एवं अन्य व्यवसायिक कार्यों-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा।

32 यह कि व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन में जो पार्किंग का निर्माण होगा उसमें जमीन मालिक और विकासकर्ता का हिस्सा होगा उसमें सिर्फ व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक क्षेत्रों में एजेन्सियों, फर्मों एवं ग्राहकों तथा मनोरंजन क्रेन्द्र तथा - सिनेमा हॉल में मनोरंजन क्रेन्द्र तथा सिनेमा देखने वाले आगन्तुकों के लिए होगा उसका देखभाल सिर्फ विकासकर्ता द्वारा नियुक्त किये गये एजेन्सी के द्वारा देखभाल होगा और आवासीय क्षेत्रों, जो फ्लैटों के रूप में निर्माण होगा उन सभी का

12/10/15
12/10/15

DIRECTOR

JAGATHIOMES & RESORTS PVT. LTD.



देखभाल विकासकर्ता द्वारा बनाये गये ऑनर एसोसिएशन द्वारा मेन्टेनेन्स एवं सफाई वगैरह किया जायेगा और जो भी व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन के पार्किंग होगा उसमें से व्यवसायिक उपयोग में करने वाले या लेने वाले युनिटों हेतु अलग से पार्किंग स्पेश होगा और आवासीय फ्लैटों का उपयोग एवं उपभोग करने वाले विकासकर्ता या इनके खरीदारगण तथा जमीन मालिक या इनके खरीदारगण के लिए समिलात पार्किंग स्पेश होगा। विकासकर्ता और जमीन मालिक को व्यवसायिक या आवासीय पार्किंग स्पेशों में बराबर-बराबर हिस्सा होगा, उस हिस्से को दोनों पक्षगण मिल बैठकर प्राप्त करेंगे।

33 यह कि दोनों पक्षगण व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का देख भाल एवं मरम्मत तथा रंगाई पोताई मिलकर करेंगे ताकि व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन की गरिमा कायम रहें।

34 यह कि इस विकास एकरारनामा के संबंध में अगर कोई विवाद या पक्षकारों में मतभेद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा पंचाट के द्वारा दिये गये फैसला के अनुरूप किया जायेगा। जिसमें सभी पक्षकारगण भारतीय पंचायती अधिनियम 1996 के अधीन पक्षकार पंच नियुक्त करेंगे और इसके द्वारा दिये गये फैसला अंतिम होगा और दिये गये फैसले को सभी पक्ष स्वीकार करने को बाध्य होंगे।

35 यहाँ स्पष्ट कर देना उचित है कि विकासकर्ता जमीन मालिक को जो उनका 50 प्रतिशत हिस्सा देंगे।

36 यह कि दोनों पक्षों के बीच यह तय हुआ है कि विकासकर्ता अपने सुविधानुसार अनुसूचि - 1 में वर्णित जमीन से सटे हुए जमीन को विकास पर लेकर बहुमंजिला व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण करेंगे उसमें प्रथम पक्ष जमीन मालिक या इनके उत्तराधिकारीगण किसी प्रकार का विरोध एवं आपत्ति नहीं करेंगे



JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

12/10/15 DIRECTOR

12/10/15
DIRECTOR

37. यह कि विकासकर्ता ने जमीन मालिक निम्नलिखित वर्णित भूमि पर बहुमंजिला व्यवसायिक मॉल/व्यवसायिक-सह-आवासीय बहुमंजिला भवन बनाने के एवज में अंकेन् 25,00,000/- रुपये मात्र को इलाहाबाद बैंक के चेक नं०-004231 दिनांक - 06.09.2015 के द्वारा एवं अंकेन् 29,00,000/- रुपये मात्र को इलाहाबाद बैंक के चेक नं०-003972 दिनांक - 22.09.2015 के द्वारा यानि कि कुल अंकेन् 54,00,000/- रुपये मात्र को जमीन मालिक के 50 प्रतिशत हिस्से के अलावा जो वापसी नहीं करने के शर्त पर भुगतान किया है।

अनुसूचि - 1

सम्पत्ति का विवरण इस एकरारनामा में निम्नलिखित है

क्षेत्रफल 10 (दस) कट्टा यानि कि 13610 वर्गफीट परती व्यवसायिक भूमि, हकियत कास्त रैयती नगदी कायमी मौजा - सगुना, वर्तमान महल्ला - दानापुर खेगौल रोड, (मूल्यांकन वही सं० - 142), परगना फुलवारी, सर्वे थाना एवं पुलिस थाना - दानापुर, जिला - पटना, बिहार, अवर निबंधन कार्यालय- दानापुर, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला - पटना में अवस्थित है, जिसका थाना नं० - 23, तौजी 5233, अन्दर खाता नं. - 32 (बत्तीस), खेसरा सं० - 483 (चार सौ तेरासी) है जो पटना नगर निगम/दानापुर निजामत नगरपालिका के अन्दर है, जिसकी चौहदारी निम्नलिखित है:-

चौहदारी

उत्तर :- प्रसाद गोप।

दक्षिण :- शैलेन्द्र कुमार सिन्हा वगैरह।

पूरब :- रामईश्वर गोप।

पश्चिम :- फकिरा मिस्त्री।

जमीन का मूल्यांकन - अंकेन् - 3,09,38,000/-



JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.

DIRECTOR

12/10/15
12/10/15
12/10/15

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 12.10.2015 को जमीन मालिक/प्रथम पक्ष ने विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष के पक्ष में निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे और प्रमाण रहे।

गवाहों का हस्ताक्षर

1. श्री राजेश कुमार
श्री राजेश कुमार सिंह
पटना - 14
12/10/15

जमीन मालिक का हस्ताक्षर

दिलीप कुमार
12/10/15

2. श्री रंजीत कुमार
श्री रंजीत कुमार केशरी
पटना - 6
12/10/15

JAGAT HOMES & RESORTS PVT. LTD.
विकासकर्ता का हस्ताक्षर

DIRECTOR
12/10/15

टकणकर्ता

अमरजीत कुमार
राजेन्द्रपथ पटना

प्रारूपकर्ता

12/10/2015

(रामानन्द प्रसाद केशरी),
एम.ए., एल.एल.बी., अधिवक्ता
जिला बार एसोसिएशन/समाहारणालय
बार एसोसिएशन, पटना
चैम्बर - राजेन्द्र पथ- भट्टाचार्या रोड चौराहा
पटना - 1, मो 0 - 9334125743



12/10/15

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 727760/-	Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 5000/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt. paid through Bank Challan	Rs. 748435/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee	Service Charge
FEE PAID	A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	650
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	
	A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25	
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0	
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0			
	TOTAL-									25025	
	Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -										25675

Registering Officer
Patna

Date: 12/10/2015

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 12th October 2015 by Dilip Kumar S/O-Late Nanhak Mahto by profession Others. Status - Executant

Dilip Kumar
12/10/2015

Registering Officer
Patna

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 12/10/2015

Endorsement under section 58

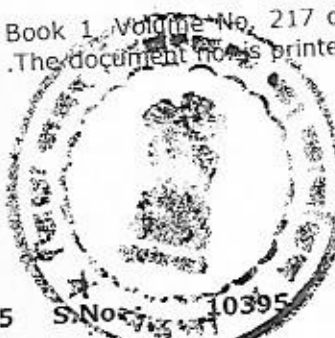
Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Manoj Kumar age '32' Sex 'M', 'S/O-Rajeshwar Singh', resident of 'R/O-Murlichak, Po-B.V.College, Jagdeo Path, Bailey Road, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date : 12/10/2015

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 217 on pages on 144 -169 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-34 year 2015 .The document No. is printed on the Front Page of the document.



Registering Officer
Patna

Date : 12/10/2015
Token No. : 10586

Year : 2015

S.No. 10395

SCORE Ver.3.0

Deed No. : 9234